



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11082025-265348
CG-DL-E-11082025-265348

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2025/श्रावण 17, 1947

No. 209]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2025/SHRAVANA 17, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2025

मामला सं. एडीडी-(एसएसआर)-03/2025

विषय: चीन जन.गण. और हांगकांग से सामान्यतः "फ्लैक्स फैब्रिक" के रूप में ज्ञात वूवन फैब्रिक (जिसमें 50% से अधिक फ्लैक्स की मात्रा होती है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच में अंतिम जांच परिणाम।

फा. सं.07/05/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे यहां आगे "अधिनियम" कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन और पाटनरोधी शुल्क का संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए।

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) को मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड - जया श्री टेक्सटाइल्स (जिन्हें आगे "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" कहा गया है) से चीन जन.गण. और हांगकांग (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" कहा गया

है) के मूल के अथवा वहां निर्यातित “फ्लैक्स फैब्रिक” (जिसे यहां “संबद्ध सामान” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” कहा गया है) के रूप में ज्ञात वृवन फैब्रिक (जिसमें 50% से अधिक फ्लैक्स की मात्रा होती है) के आयातों पर निर्णायक समीक्षा जांच के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. चीन जन.गण. और हांगकांग से विचाराधीन उत्पाद के आयात से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 14/8/2008-डीजीएडी दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 द्वारा शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने 17 फरवरी 2009 को अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए प्रारंभिक जांच परिणाम अधिसूचित किए। अनंतिम शुल्क सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 30/2009-सीमा शुल्क दिनांक 26 मार्च, 2009 के तहत लगाए गए थे। अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 14/08/2008-डीजीएडी दिनांक 1 अक्टूबर, 2009 के तहत जारी की गई थी जिसमें निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 142/2009-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 21 दिसंबर, 2009 द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे।
2. प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 15/30/2013-डीजीएडी दिनांक 10 मार्च 2014 द्वारा पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 15/30/2013-डीजीएडी दिनांक 9 जून 2015 द्वारा पाटनरोधी शुल्क में संशोधन और उसे जारी रखने की सिफारिश की। इन्हें अधिसूचना संख्या 39/2015-सीमा शुल्क दिनांक 12 अगस्त, 2015 द्वारा लगाया गया।
3. चूंकि शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति पहुँच रही थी, इसलिए मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड-जय श्री टेक्सटाइल्स ने प्राधिकारी के समक्ष समीक्षा जाँच कराने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया। प्राधिकारी ने 23 दिसंबर 2019 की अधिसूचना संख्या 7/26/2019- डीजीटीआर के माध्यम से दूसरी निर्णायक समीक्षा जाँच शुरू की। प्राधिकारी ने 17 अगस्त 2020 को संबद्ध देशों से निरंतर पाटन के कारण शुल्कों में विस्तार और वृद्धि की सिफारिश की। तदनुसार, 10 नवंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या 35/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से संशोधित दरों पर पाटनरोधी शुल्क बढ़ा दिए गए।
4. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा पाटन और क्षति की संभावना के पर्याप्त साक्ष्य के साथ दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र के आधार पर, पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार, दिनांक 29 मार्च, 2025 की अधिसूचना संख्या 7/05/2025-डीजीटीआर द्वारा, संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के संबंध में पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या उक्त शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति जारी रहने की संभावना है, एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

5. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - i. प्राधिकारी ने दिनांक 29 मार्च 2025 को एक अधिसूचना जारी की, जिसे भारत के राजपत्र - असाधारण में प्रकाशित किया गया, जिसमें संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा शुरू की गई।
 - ii. उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्राधिकारी ने 29 मार्च 2025 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे जांच की शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से संगत सूचना दें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचार दें।
 - iii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को उपलब्ध कराई।
 - iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देशों में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:
 - i. हुनान हुआशेंग इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

- ii. मेंगयिन कॉटन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
 - iii. हार्बिन चाओलॉग फ्लैक्स कंपनी लिमिटेड
 - iv. बिनफेनझुआंग फैब्रिक कंपनी लिमिटेड
 - v. हुआफांग रामी टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
 - vi. झूचेंग डेलीयुआन टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
 - vii. हैनिंग यूटेक्स कंपनी लिमिटेड
 - viii. किंगदाओ युझोउ निट एंड टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
 - ix. वुजियांग मैशुंडा सिल्क टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड
- v. किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया, न ही उन्होंने कोई अन्य अनुरोध दायर किए। हांगकांग के काउंसुलेट, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एचकेएसएआर) के व्यापार और उद्योग विभाग (टीआईडी), चीन, तथा वस्त्र आयात और निर्यात के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स (सीसीसीटी) ने स्वयं को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है, तथापि, उन्होंने कोई अनुरोध नहीं किया है।
- vi भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए प्रश्नावली भेजी गई थी-
- i. के. मोहन टेक्सटाइल्स, बैंगलोर, कर्नाटक
 - ii. प्रतीक अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक
 - iii. अंबतूर क्लोदिंग कंपनी लिमिटेड, तमिलनाडु
 - iv. आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड, कर्नाटक
 - v. शाही एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद
 - vi. ऋचा एंड कंपनी, नई दिल्ली
 - vii. मलबेरी सिल्क लिमिटेड, कर्नाटक
 - viii. इंडियन टेरियन क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड, तमिलनाडु
 - ix. ओरिएंट क्लोदिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा
 - x. मोहन क्लोदिंग कंपनी (प्रा.) लिमिटेड, हरियाणा
 - xi. अनीश इंडिया एक्सपोर्ट, हरियाणा
 - xii. गोकलदास इमेजेज, कर्नाटक
 - xiii. प्रसम एक्सपोर्ट्स, महाराष्ट्र
 - xiv. रेमंड लिमिटेड (टेक्सटाइल डिवीजन), मुंबई
- vii. किसी भी आयातक या प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, न ही उन्होंने जांच की शुरुआत की अधिसूचना के प्रत्युत्तर में कोई अन्य अनुरोध दायर किए हैं।
- viii. जिन निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है, या इस जाँच से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, उन्हें असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।
- ix. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया। आर्थिक हित प्रश्नावली केवल घरेलू उद्योग द्वारा दाखिल की गई। अन्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली दायर नहीं की है।

- x. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- xi. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 (12 महीने की अवधि) है। जांच के लिए क्षति अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और पीओआई की अवधि शामिल होगी।
- xii. क्षति अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के लिए सिस्टम और डेटा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और उन्होंने लेनदेनों की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- xiii. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और क्षति-रहित कीमत का पता लगाने के लिए नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर यथासंभव घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना की जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- xiv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। सार्वजनिक मौखिक सुनवाई 30 जून 2025 को आयोजित की गई थी। घरेलू उद्योग और हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया, तथापि, केवल घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि ने ही अनुरोध किए। उपस्थित लोगों से अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध 6 जुलाई 2025 तक और प्रत्युत्तर 13 जुलाई 2025 तक दायर करें। मौखिक सुनवाई के बाद केवल घरेलू उद्योग ने अनुरोध दायर किए हैं।
- xv. इस जाँच में आवश्यक तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण 29 जुलाई 2025 को हितबद्ध पक्षकारों को जारी किया गया था और हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 04 अगस्त 2025 तक का समय दिया गया था। प्रकटन विवरण पर हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों पर संगत पाई गई सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- xvi. नियम 6(8) के अनुसार, जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार किया है या अन्यथा उपलब्ध नहीं कराई है, या जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज किए हैं।
- xvii. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे 'एनआईपी' कहा गया है) का निर्धारण भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उचित लाभ के आधार पर किया गया है, जो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना पर आधारित है।
- xviii. नियम 8 के अनुसार, जांच के दौरान, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान की गई सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो अंतिम जांच परिणाम का आधार है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और दस्तावेजों का सत्यापन संगत और आवश्यक समझे जाने की सीमा तक किया।
- xix. इस अंतिम जांच परिणाम में "****" गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना और पाटनरोधी नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- xx. जांच की अवधि के दौरान प्रचलित 1 यूएस डॉ. = 84.27 रुपए है की औसत विनिमय दर प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:
 - i. विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्स फैब्रिक है जिसमें 50% से अधिक फ्लैक्स सामग्री है और यह चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल का अथवा वहां से निर्यातित है। यह सामान्यतः सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 53 के अंतर्गत वर्गीकृत है।
 - ii. "फ्लैक्स" और "लिनन" समानार्थी शब्द हैं और फ्लैक्स शब्द को लिनन के रूप में भी जाना जाता है और इसका प्रयोग फ्लैक्स फाइबर से बने यार्न और फैब्रिक के उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रयोग प्रायः वूवन बैड,

बाथटब, टेबल और किचन टेक्सटाइल के एक वर्ग का वर्णन करने के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में किया जाता है क्योंकि पारंपरिक रूप से फ्लैक्स का उपयोग तौलिये, चादरें आदि के लिए व्यापक रूप से किया जाता था।

- iii. वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि पहले की गई जाँच में परिभाषित किया गया था।
- iv. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में इस अवधि में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।
- v. विचाराधीन उत्पाद फ्लैक्स नामक सेल्यूलोसिक पौधे से बनाया जाता है, जो उत्तरी यूरोपीय देशों, मुख्यतः फ्रांस और बेल्जियम में उगाया जाता है। इन देशों को गीली कटाई प्रक्रिया के माध्यम से लिनन धागे में परिवर्तित किया जाता है, जो किसी भी अन्य कटाई प्रक्रिया से अलग है। इस लिनन धागे का उपयोग बुनाई के लिए आवश्यकतानुसार ग्रे या रंगे हुए रूप में किया जाता है। बुनाई के बाद, इसे प्रसंस्कृत और परिष्कृत करके बाजार में बेचा जाता है।
- vi. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

8. वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र मूल जाँच में परिभाषित के अनुसार ही है। पिछली जाँच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है -

विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. और हांगकांग के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फ्लैक्स फैब्रिक है, जिसे सामान्यतः सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 53 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। "फ्लैक्स" और "लिनन" समानार्थी शब्द हैं और फ्लैक्स शब्द को लिनन भी कहा जाता है और इसे वूवन बैड, बाथटब, टेबल और किचन टेक्सटाइल के एक वर्ग का वर्णन करने के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि पारंपरिक रूप से फ्लैक्स का उपयोग तौलिये, चादर आदि के लिए व्यापक रूप से किया जाता था। यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क अध्याय 53 के उपशीर्षक 53.09 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से आयातित वूवन फैब्रिक (50% से अधिक फ्लैक्स सामग्री वाले) समान वस्तुएँ हैं और नियमों के अभिप्राय से विचाराधीन उत्पाद हैं।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि ग्रेड-वार उत्पादन विवरण के अनुसार, घरेलू उद्योग ने 30-50% फ्लैक्स सामग्री वाले कपड़े का उत्पादन किया है। यह कुल उत्पादन का 0.62% है। चूंकि घरेलू उद्योग 50% तक की फ्लैक्स मात्रा वाले फैब्रिक का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहा है, अतः प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विचाराधीन उत्पाद में फ्लैक्स की मात्रा 50% से अधिक है।"

9. अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जाँच की शुरुआत के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए कहा गया था। आवेदक को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्षकार से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई और इसलिए, प्राधिकारी ने दिनांक 23.04.2025 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो पिछली जाँचों को ध्यान में रखते हुए जाँच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित किया गया था। यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान जाँच में कोई पीसीएन पद्धति नहीं अपनाई जा रही है।
10. यह उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 5309 के तहत अध्याय 53 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। यह भी नोट किया जाता है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह से संबद्ध जाँच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

11. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध सामान भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद, नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार, संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' हैं और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही है जो मूल जाँच में परिभाषित किया गया था।
12. इसके अतिरिक्त, किसी भी आयातक, निर्यातक या अन्य हितधर पक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के क्षेत्र के संबंध में कोई तर्क नहीं दिया है। इस प्रकार, वर्तमान समीक्षा जाँच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जाँच में है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

13. घरेलू उद्योग के आधार और क्षेत्र के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. वर्तमान आवेदन-पत्र मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड - जया श्री टेक्सटाइल्स द्वारा दायर किया गया है। आवेदन-पत्र दायर करते समय, आवेदक को विचाराधीन उत्पाद के पांच उत्पादकों द्वारा समर्थन दिया गया था। मौखिक सुनवाई के बाद, पंद्रह अन्य उत्पादकों ने आवेदन-पत्र के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अतः, निम्नलिखित उत्पादकों ने उक्त आवेदन-पत्र का समर्थन किया है:

- i. ग्लोबल इमेजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,
- ii. गोवर्धन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड,
- iii. जगदंबा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड,
- iv. रेमंड लक्ज़री कॉटन्स लिमिटेड,
- v. सचदेवा फैब्रिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड,
- vi. भावना फैब्रिक्स
- vii. ली वीविंग
- viii. मधुसूदन वीन्स।
- ix. मयंक टेक्सटाइल्स
- x. राघव एंटरप्राइजेज
- xi. श्री बालाजी सिल्क
- xii. श्री जय अम्बे सिल्क
- xiii. श्री कृष्णा सिल्क
- xiv. श्री राम सिल्क
- xv. सुदामो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xvi. सिसाई फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xvii. कोटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xviii. दर्शन क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड
- xix. केशरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xx. वृजेश नेचुरल फाइबर एंड फैब्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxi. एके फैब्रिक्स

xxii. विराट फैशन

- ख. भारत में विचाराधीन उत्पाद के कई उत्पादक हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पिछली जाँच में यह माना था कि संबद्ध सामानों का उत्पादन एमएसएमई क्षेत्र में व्यापक है, जिस रूप से है, जिससे यूनिटों से आँकड़े एकत्रित करना अव्यवहारिक है।
- ग. इसके अतिरिक्त, चूँकि एक बुनकर फ्लैक्स सहित विभिन्न प्रकार के कपड़े बना सकता है, इसलिए कॉटन फैब्रिक के उत्पादन में लगे कई उत्पादक फ्लैक्स फैब्रिक की कम मात्रा में विनिर्माण करते हैं। तदनुसार, भारतीय उत्पादन का परिमाणन करने का सबसे उपयुक्त तरीका - जो पिछली प्रथा के अनुरूप है - कच्चे माल की खपत पर विश्वास करना है।
- घ. घरेलू उद्योग ने, पिछली परिपाटी का पालन करते हुए, कुल भारतीय उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए कच्चे माल की खपत पर विश्वास किया है। आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक "प्रमुख अनुपात" दर्शाता है।
- ङ. आवेदक का भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध देशों के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबद्ध है। अतः, आवेदक नियमावली के तहत आधार की आवश्यकताओं को पूरा करता है और आवेदक "घरेलू उद्योग" है।
- च. निर्णायक समीक्षा में आधार अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। डीजीटीआर द्वारा अपेक्षित 25% और 50% की शर्त नियम 5 के अंतर्गत है तथा नियम 23 के अंतर्गत नहीं आती है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

14. निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के आधार और क्षेत्र के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

15. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“(ख) घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

16. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन-पत्र मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड - जया श्री टेक्सटाइल्स द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही वह संबद्ध सामानों के किसी आयातक या निर्यातक से संबद्ध है।
17. यह नोट किया जाता है कि देश में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एमएसएमई क्षेत्र सहित, काफी विखरा हुआ है। देश में उत्पाद के सकल घरेलू उत्पादन के संबंध में कोई प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस मुद्दे पर मूल जांच परिणामों और पिछली निर्णायक समीक्षा जाँचों में भी विचार किया गया था। यह माना गया कि विश्वसनीय सूचना के अभाव और असंगठित क्षेत्र में उत्पादन होने के कारण, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का आकलन कच्चे माल की खपत के आधार पर किया जाना आवश्यक है। आवेदक ने वर्तमान मामले में भारतीय उत्पादन और घरेलू उद्योग की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए इसी पद्धति का पालन किया है।
18. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से संगत सूचना प्रस्तुत करने का विधिवत आह्वान किया था। तथापि, अन्य कोई भी हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों का विरोध अथवा खंडन करने के लिए आगे नहीं आया। तदनुसार, मामले में पिछली जांच के अनुरूप और पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों को उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्य माना है। सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य उत्पादन आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण, प्राधिकारी ने स्थापित पद्धति को अपनाया है और आवेदक द्वारा घोषित कच्चे माल की खपत के आधार पर विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन का अनुमान लगाया है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक का उत्पादन घरेलू उत्पादन का 25.73% है। प्राधिकारी यह भी रिकॉर्ड करते हैं कि, निर्णायक समीक्षा को नियंत्रित करने वाले नियम 23 के अनुसार, नियम 5(3) के अनुसार घरेलू उद्योग का आधार सिद्ध करने की आवश्यकता समीक्षा के लिए अनिवार्य नहीं है।

19. आवेदन-पत्र का समर्थन निम्नलिखित उत्पादकों द्वारा किया गया है:

- i. ग्लोबल इमेजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड,
- ii. गोवर्धन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड,
- iii. जगदंबा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड,
- iv. रेमंड लकज़री कॉटन्स लिमिटेड,
- v. सचदेवा फैब्रिक वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड
- vi. भावना फैब्रिक्स
- vii. ली वीविंग
- viii. मधुसूदन वीव्स।
- ix. मयंक टेक्सटाइल्स
- x. राघव एंटरप्राइजेज
- xi. श्री बालाजी सिल्क
- xii. श्री जय अम्बे सिल्क
- xiii. श्री कृष्णा सिल्क
- xiv. श्री राम सिल्क
- xv. सुदामो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
- xvi. सिसई फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
- xvii. कोटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xviii. दर्शन क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड
- xix. केशरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- xx. वृजेश नेचुरल फाइबर एंड फैब्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- xxi. एके फैब्रिक्स
- xxii. विराट फैशन

20. मेसर्स रेमंड लकज़री कॉटन्स लिमिटेड, जो संगठित क्षेत्र में एक उत्पादक है, ने भी मौखिक सुनवाई के बाद अपनी क्षति संबंधी सूचना प्रस्तुत की है। यह नोट किया जाता है कि आवेदक द्वारा किया गया उत्पादन इसका प्रमुख अनुपात है। इसके अतिरिक्त, मेसर्स रेमंड लकज़री कॉटन्स लिमिटेड ने केवल क्षति संबंधी सूचना दी है, तथापि, विस्तृत लागत संबंधी सूचना के बिना दी है।

ड. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटित मार्जिन का निर्धारण

ड.1 सामान्य मूल्य

21. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अभिप्राय निम्नलिखित है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-

- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उप-धारा(6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्भूत वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्भूत वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्भूत वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

22. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं –

- क. मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद, संबद्ध देशों ने भारत में संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी रखा है।
- ख. यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान समाप्त हो चुके हैं, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों को चीन जन.गण. में घरेलू कीमतों या लागतों पर तभी विचार करना आवश्यक है, जब जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दर्शा सकें कि अनुच्छेद 15(क)(i) के अनुसार उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ विद्यमान हैं, जो वर्तमान मामले में चीनी उत्पादकों ने नहीं दर्शाई हैं।
- ग. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित करने हेतु किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत के वास्तविक बिक्री कीमत का कोई सत्यापन योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- घ. किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, नियम 6(8) के अनुसार निर्यातकों को असहयोगी माना जाना चाहिए और प्राधिकारी को उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।
- ड. संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी या प्रयुक्त विनिर्माण प्रक्रिया या संबद्ध देशों में कच्चे माल की कीमतों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, इसलिए गणना उचित है।
- च. उपरोक्त के मद्देनजर, आवेदक ने घरेलू उद्योग की लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित, भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- छ. चूंकि हांगकांग में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः आवेदक ने उचित समायोजन के बाद, भारत में उत्पादन लागत के आधार पर हांगकांग में सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।
- ज. निर्यात कीमत को समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, सहायक पैकेजिंग, क्रेडिट लागत और मालसूची वहन लागत के आधार पर समायोजित किया जाता है।
- झ. परिकलित पाटन मार्जिन न केवल काफी है, बल्कि पर्याप्त भी है।

ड.3 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

23. निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ड.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर

24. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: “जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 (“पाटनरोधी करार”) के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

“(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सन्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।”

25. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, तथापि अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने हेतु नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा होती है। चूंकि जन.गण. से किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, अतः सामान्य मूल्य नियमावली के अनुच्छेद 1 के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

ड.5 चीन जन. गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

26. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने बिक्री सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभ को विधिवत समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। जांच शुरू होने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच शुरू करने की सूचना का उत्तर देने और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के निर्धारण के लिए संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को अनुपूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं। प्राधिकारी ने चीन जन.गण. सरकार से यह भी अनुरोध किया कि वह चीन

जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दे। तथापि, किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

27. नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

“गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य, अथवा भारत या जहां यह संभव नहीं है, वहां सहित तीसरे देश से अन्य देशों से कीमत अथवा अन्य किसी उपयुक्त आधार, जिसमें आवश्यक होने पर विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत शामिल है, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश संबंधित देश के विकास और प्रश्रुत उत्पाद के मद्देनजर उपयुक्त तरीके में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चुना जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर उचित ध्यान दिया जाएगा। किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई जांच की समय सीमाओं, जहां लागू हो, के भीतर भी ध्यान दिया जाएगा। जांच से संबंधित पक्षकारों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन से किसी अपर्याप्त विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और उनकी टिप्पणियां देने के लिए उपयुक्त समयावधि दी जाएगी।”

28. पैरा 7 सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक पदानुक्रम निर्धारित करता है और यह प्रावधान करता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश को कीमत के आधार पर, या जहाँ यह संभव न हो, किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत भी शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 7 के तहत दिए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया जाना आवश्यक है।

29. किसी भी हितवद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में प्रचलित कीमत या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है। अतः, बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में प्रचलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, संबद्ध सामानों का भारत में आयात मुख्यतः संबद्ध देशों से किया जा रहा है, अतः अन्य देशों द्वारा भारत में किए गए आयातों पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः, बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में प्रचलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में उल्लिखित अन्य विधियों के संबंध में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में, प्राधिकारी ने “किसी अन्य उचित आधार” पर विधि पर विचार करके सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः, प्राधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर, जिसे विधिवत समायोजित किया गया है, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्माण किया है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ जोड़कर शामिल किया गया है। प्राधिकारी द्वारा जांच की अवधि के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ड.6 हांग कांग के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

30. चूंकि हांगकांग के किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित प्रारूप और तरीके से नहीं दिया है, और न ही संबद्ध देश में संबद्ध सामान के सामान्य मूल्य के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है, इसलिए प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस देश में सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए बाध्य हैं। इसके अतिरिक्त, हांगकांग में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, हांगकांग के लिए सामान्य मूल्य, उचित समायोजन के बाद, भारत में उत्पादन लागत पर आधारित है। हांगकांग के लिए इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

ड.7 निर्यात कीमत का निर्धारण

31. चूंकि संबद्ध देशों के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया है, इसलिए प्राधिकारी ने सीआईएफ कीमत निर्धारित करने के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों को अपनाया है। निर्यात कीमत भारत में भारित औसत आयात कीमत के आधार पर निर्धारित की गई है।

32. चीन जन.गण. और हांगकांग के निर्यातकों के असहयोग को देखते हुए आवेदक द्वारा किए गए दावों के आधार पर कीमत समायोजन किया गया है। निर्यात कीमत का निर्धारण कारखानागत स्तर पर, समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा,

कमीशन, बैंक कमीशन, अंतर्देशीय मालभाड़ा खर्च, पत्तन व्यय और चीन के मामले में वैट अंतर के समायोजन पर विचार करने के बाद किया गया है।

ड.8 संबद्ध देशों में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण

33. उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और महत्वपूर्ण बना हुआ है। वास्तव में, पाटन मार्जिन पिछली की गई जाँचों की तुलना में बढ़ा है।

पाटन मार्जिन

विवरण	यूनिट	चीन	हांगकांग
सामान्य मूल्य	डॉ./एमटीआर	***	***
निवल निर्यात कीमत	डॉ./एमटीआर	***	***
पाटन मार्जिन	डॉ./एमटीआर	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***
पाटन मार्जिन	रेंज	110-120	40-50

च. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क

34. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
35. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि नियम 6,7,8,9,10,11,16,18,19 और 20 के प्रावधान समीक्षा के मामले में लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग का निष्पादन यह दर्शाता है कि उसे वर्तमान क्षति अवधि के दौरान क्षति नहीं हुई है, तो प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने की संभावना है।
36. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने हेतु आवेदन-पत्र मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड-जय श्री टेक्सटाइल्स द्वारा दायर किया गया है और जैसा कि पहले संबंधित पैरा में बताया गया है, कई समर्थकों द्वारा इसका समर्थन किया गया है। नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार, इस जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक को घरेलू उद्योग माना गया है। अतः, इस निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवेदक की लागत और क्षति संबंधी सूचना की जाँच की गई है।

च.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

- क. संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- ख. क्षति अवधि के दौरान भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध आयात दोगुना हो गया है।
- ग. आधार वर्ष से जांच की अवधि तक भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- घ. शुल्कों के बावजूद, संबद्ध आयात घरेलू बिक्री कीमतों में कटौती कर रहे हैं। यदि विद्यमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है, तो कीमत कटौती में और अधिक वृद्धि हो सकती है।
- ड. इसी प्रकार, संबद्ध आयात विद्यमान शुल्कों के बावजूद घरेलू बिक्री लागत में भी उल्लेखनीय कटौती कर रहे हैं। यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो लागत कटौती काफी अधिक हो जाएगी।
- च. बिक्री लागत में वृद्धि, बिक्री कीमत में वृद्धि से कहीं अधिक रही है। जांच अवधि में, बिक्री कीमत, बिक्री लागत से कम थी। संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत दोनों से उल्लेखनीय रूप से कम थी, जिसके कारण कीमत ह्रास हुआ।
- छ. मांग में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग ने उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि की है। तथापि, पाटन आयातों से प्रतिस्पर्धा करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए, घरेलू उद्योग घाटे में बेच रहा है।
- ज. निरंतर क्षमता, संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि और उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- झ. निरंतर प्रतिकूल मात्रा और मूल्य प्रभाव के कारण, घरेलू उद्योग के आर्थिक निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- ञ.. शुल्कों के मौजूदगी के बावजूद घरेलू उद्योग को काफी और निरंतर घाटे का सामना करना पड़ रहा है।
- ट. पीबीआईटी, नकद लाभ और आरओसीई ऋणात्मक हो गए हैं, जो क्षति अवधि में काफी कम हो गए हैं।
- ठ. क्षति अवधि में घाटे की सीमा 87% तक बढ़ी है। क्षति अवधि में आरओसीई 13% से घटकर 25% हो गया है।
- ड. क्षति अवधि के दौरान, फ्लैक्स फाइबर की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, यद्यपि लागत में वृद्धि हुई, चीनी उत्पादकों ने अपनी कीमतों में अनुपातिक रूप से वृद्धि नहीं की। तदनुसार, घरेलू उत्पादकों को इनपुट मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि के बावजूद अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए लागत से कम पर बेचना पड़ा, जिससे और अधिक घाटा हुआ।
- ढ. घरेलू उद्योग के पास माल सूची पूरी क्षति अवधि में काफी रही है, और जांच की अवधि में माल सूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जब संबद्ध आयात सभी समय से उच्च स्तर पर थे।
- ण. पिछली जांचों में भी संबद्ध देशों द्वारा सकारात्मक और निरंतर पाटन किया गया है। वर्तमान जांच में, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में और वृद्धि हुई है।
- त. वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, प्राधिकारी द्वारा पिछली दो निर्णायक समीक्षा जांचों में निर्धारित मार्जिन से अधिक है।
- थ. संबद्ध देशों में उत्पादक शुल्कों को लेते रहे हैं, अतः प्राधिकारी द्वारा पिछली जांच में शुल्क बढ़ाए गए थे, तथापि पाटन में तेजी आई है।
- द. जांच की अवधि में आयात की मात्रा हर समय से उच्च स्तर पर रही है। यह पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्कों में वृद्धि के बावजूद है।
- ध. मूल जांच बेंचमार्क शुल्क के बाद से, आयात कीमत में केवल लगभग 80 रुपये की वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री की लागत कई गुना बढ़ गई है।
- न. जबकि क्षति अवधि के दौरान बिक्री की लागत में *** % की वृद्धि हुई है, आयातों के पहुँच मूल्य में इसी अवधि के दौरान केवल 8% की वृद्धि हुई है। मौजूदा शुल्कों को जोड़ने के बाद भी आयात लागत से बहुत कम हैं।
- प. घरेलू उद्योग अभूतपूर्व नुकसान उठा रहा है। मूल जाँच में आरओसीई जो *** % था, की तुलना में वर्तमान जाँच में आरओसीई -*** % है।
- फ. कानून में संरक्षण के वर्षों की संख्या की ऊपरी सीमा का उल्लेख नहीं है। 263 मामले ऐसे हैं, जिनमें शुल्क 15-20 वर्षों से प्रभावी हैं और 207 मामले ऐसे हैं, जिनमें शुल्क 20-25 वर्षों से लगाए गए हैं। डीजीटीआर ने 1997 से थाईलैंड से एक्रिलिक फाइबर और कोरिया से एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर पर शुल्क लगाया है।

- ब. प्राधिकारी की यह सतत परिपाटी रही है कि वह क्षति विश्लेषण में अग्रिम प्राधिकार अथवा इसी तरह की योजनाओं के तहत आयातों को शामिल करें। ऐसे आयात उस कीमत को दर्शाते हैं जिस पर उपायों के अभाव में संबद्ध सामानों का आयात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे आयात प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं और कीमत रेखा बदलते हैं, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें निर्धारित हो जाती हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए इन आयातों पर विचार किया है क्योंकि ये पाटित आयात घरेलू उद्योग के लिए इन निर्यातकों को अपनी आपूर्ति बढ़ाने के उपलब्ध अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इस हद तक, संबद्ध सामानों की मांग कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस धारक के पास या तो शुल्क मुक्त आधार पर इनपुट आयात करने या अग्रिम रिलीज आदेश की व्यवस्था द्वारा स्वदेशी स्रोत से इसे प्राप्त करने का विकल्प होता है। अग्रिम प्राधिकार मात्रा को शामिल न करने से क्षति विश्लेषण विकृत हो जाएगा।
- भ. संबंधित सामानों के अधिकांश उत्पादक एमएसएमई क्षेत्र में केंद्रित हैं, जिनमें कुछ प्रमुख व्यापारी शामिल हैं। यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं, तो एमएसएमई क्षेत्र बर्बाद जाएगा और संगठित क्षेत्र को भारी नुकसान होगा।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

38. निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति या कारणात्मक संपर्क के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

39. नियमावली के अनुबंध II के साथ पठित नियम 11 में निम्नलिखित दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच का प्रावधान है: (क) समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा और कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव। पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह जांचना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह जांचना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्य में उल्लेखनीय कटौती हुई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना है, या मूल्य वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण सीमा तक हो जाती।
40. जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, नियमावली के अनुबंध- II के पैरा (iv) में निम्नानुसार उल्लेख है:

"(IV) संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"

41. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों एवं लाभप्रदता पर इसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति की मौजूदगी और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संपर्क, यदि कोई हो, की जांच की जा सके। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखा है और नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को क्षति की जांच की है।

च.3.1 मांग का मूल्यांकन

42. संबद्ध सामानों की घरेलू खपत/मांग के आकलन के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री मात्रा को भारत में कुल आयातों में जोड़ दिया गया है और उसका सार नीचे दिया गया है।

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	000'एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	106	103

अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	000' एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	106	103
चीन जन.गण. से आयात	000' एमटीआर	10,641	11,531	15,945	16,112
हांग कांग से आयात	000' एमटीआर	78	1	89	98
अन्य देशों से आयात	000' एमटीआर	582	894	1,248	1,333
कुल मांग/खपत	000' एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	117	116

43. यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग क्षति अवधि के दौरान लगातार बढ़ी है।

च.3.2 पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

i. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और हिस्सा

44. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में, चाहे निरपेक्ष रूप से, या भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तथापि, वर्तमान मामले में, पाटनरोधी शुल्क लागू है। संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
संबद्ध देश	000'एमटीआर	10,718	11,531	16,034	16,210
i. चीन जन.गण.	000' एमटीआर	10,641	11,531	15,945	16,112
ii. हांगकांग	000' एमटीआर	78	1	89	98
अन्य देश	000' एमटीआर	582	894	1,248	1,333
कुल आयात	000' एमटीआर	11,300	12,425	17,282	17,543
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात :					
भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
भारतीय खपत	%	***	***	***	***

45. यह देखा जाता है कि:

- संबद्ध देशों से आयात की मात्रा भारत में संबद्ध सामानों के कुल आयात का 95% से अधिक है।
- चीन से आयात की मात्रा में लगातार वृद्धि हुई है और 2023-24 तथा जांच की अवधि में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तथापि, हांगकांग से आयात निम्न स्तर पर बना हुआ है।
- भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात, आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में दोगुना हो गया है।
- इसी प्रकार, भारतीय खपत के संबंध में आयात में भी क्षति अवधि के दौरान 65% की पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- संबद्ध आयात की मात्रा में वृद्धि देश में मांग में वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक रही है।

46. यह भी नोट किया जाता है कि अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत काफी आयात किए जा रहे हैं। विगत प्रथा परिपाटी न्यायशास्त्र के अनुरूप, प्राधिकारी का मानना है कि अग्रिम लाइसेंस सहित शुल्क छूट योजनाओं के अंतर्गत किए गए आयातों का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए इन्हें क्षति एवं पाटन मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए।

च.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

47. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाना या कीमतों में वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती थी। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कीमत कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और क्षति-रहित कीमत की तुलना संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच लागत से की गई है।

i. कीमत कटौती

48. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों से कीमतों में कटौती हो रही है, प्राधिकारी ने उत्पाद की पहुँच कीमत और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत के बीच तुलना की है। आयातों की पहुँच कीमत, घरेलू कीमतें और कटौती का मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

विवरण	यूनिट	संबद्ध देश	चीन जन.गण.	हांगकांग
आयात मात्रा	000' एमटीआर	16,210	16,112	98
पहुँच कीमत (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रु./ एमटीआर	275	274	394
पहुँच कीमत (पाटनरोधी शुल्क के साथ)	रु./ एमटीआर	473	473	490
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./ एमटीआर	***	***	***
कीमत कटौती (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रु./ एमटीआर	***	***	***
	%	***	***	***
कीमत कटौती (पाटनरोधी शुल्क के साथ)	रु./ एमटीआर	***	***	***
	%	***	***	***

49. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है, जो सकारात्मक कीमत कटौती दर्शाती है। इसके अलावा, मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को जोड़ने के बाद भी, कीमत कटौती सकारात्मक और काफी है।

ii. कीमत ह्रास

50. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों का प्रभाव कीमतों को काफी सीमा तक कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा हुई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान आयातों की पहुँच कीमत तथा घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	यूनिट	2021- 22	2022- 23	2023- 24	जांच की अवधि
उत्पादन लागत	रु./ एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	131	151	175

बिक्री कीमत	रु./ एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	140	154	173
पहुंच कीमत – संबद्ध देश (पाटनरोधी शुल्क के बिना)	रु./ एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	116	125	132
पहुंच कीमत – संबद्ध देश (पाटनरोधी शुल्क के साथ)	रु./ एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	112	119	123

51. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। तथापि, बिक्री कीमत पूरी क्षति अवधि में उत्पादन लागत के स्तर से नीचे रही है। यह भी देखा जाता है कि आयातों की पहुंच कीमत पूरी क्षति अवधि में उत्पादन लागत से कम थी। वस्तुतः, आयातों की पहुंच कीमत 2023-24 और जाँच अवधि में और भी कम हो गई है, जब लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुपात बिक्री कीमत में वृद्धि करने में असमर्थ है। इस प्रकार, संबद्ध आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय घाटा हो रहा है।

च.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर पाटित आयातों का प्रभाव

52. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जाँच शामिल होगी। पाटनरोधी नियमावली में आगे यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयातों के प्रभाव की जाँच में उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होना चाहिए, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, डंपिंग मार्जिन की मात्रा; नकदी प्रवाह, इन्वेंट्री, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर नीचे चर्चा की गई है।

I. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

53. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है –

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जाँच की अवधि
क्षमता	एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	103	103
क्षमता उपयोग	%	91%	92%	94%	94%
	सूचीबद्ध	100	100	103	103
घरेलू बिक्री	एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	109	106	103
निर्यात बिक्री	एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	85	160	258

54. यह देखा जाता है कि -

i. घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि में स्थिर रही है।

- ii. क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है।
- iii. घरेलू उद्योग की बिक्री आधार वर्ष से 2022-23 में बढ़ी और उसके बाद, मांग में वृद्धि के बावजूद, जांच अवधि सहित, इसमें गिरावट आई।

ii. मांग में बाजार हिस्सा

55. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग और घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	98	87	83
अन्य घरेलू उत्पादक	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	99	86	83
संबद्ध देशों से आयात	%	17	18	28	28
	सूचीबद्ध	100	103	161	165
अन्य देश	%	1	1	2	4
	सूचीबद्ध	100	158	198	464

56. यह नोट किया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देशों की बाजार हिस्सेदारी में पूरी क्षति अवधि के दौरान काफी वृद्धि हुई है। अन्य भारतीय उत्पादकों की बाजार हिस्सेदारी में भी काफी गिरावट आई है। संबद्ध आयातों का घरेलू मांग में महत्वपूर्ण हिस्सा है।

iii. लाभ अथवा हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय

57. घरेलू उद्योग का लाभ/हानि, नकद लाभ और निवेश पर आय निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
उत्पादन लागत	रु./एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	131	151	175
बिक्री कीमत	रु./एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	140	154	173
पीबीटी	रु./एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-22	-119	-187
पीबीटी (व्याज और कर पूर्व लाभ)	रु. लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-18	-127	-229
नकद लाभ	रु./एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	126	-139	-267

नकद लाभ	रु. लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	128	-146	-278
आर.ओ.सी.ई	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	-100	-17	-110	-192

58. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- क्षति अवधि के दौरान बिक्री लागत और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। तथापि, घरेलू उद्योग को भारी मात्रा में पाटित आयातों के कारण अपनी बिक्री कीमत को बिक्री लागत के स्तर से नीचे रखने के लिए बाध्य होना पड़ा।
- आधार वर्ष में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) नकारात्मक था, जिसमें 2022-23 में सुधार तो हुआ, लेकिन 2023-24 में जांच की अवधि तक और गिरावट आई।
- नकद लाभ और निवेश पर आय (आरओआई) में लाभ के समान ही रुझान रहा। जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को निवेश पर नकारात्मक आय प्राप्त हो रही है।

iv. मालसूची

59. संबद्ध सामानों की मालसूची से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-2024	जांच की अवधि
आरंभिक मालसूची	000 एमटीआर	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	000 एमटीआर	***	***	***	***
औसत मालसूची	000 एमटीआर	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	99	84	93

60. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की मालसूची आधार वर्ष से 2023-24 में घट गई, परंतु जांच की अवधि में फिर बढ़ गई। घरेलू उद्योग के पास औसत मालसूची काफी है।

v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

61. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	103	109	111
वेतन और मजदूरी	रु. लाख	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	114	126	123
उत्पादकता/ कर्मचारी	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	98	95	93

62. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में वृद्धि हुई है। भुगतान की गई मजदूरी में भी रोजगार स्तर के समान ही वृद्धि हुई है। हालाँकि, प्रति कर्मचारी उत्पादकता में गिरावट आई है।

vi. वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि

63. वर्ष दर वर्ष वृद्धि इस प्रकार है –

विवरण	यूनिट	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
उत्पादन	%	-	0.94%	2.21%	-0.29%
घरेलू बिक्री	%	-	9.2%	-3.3%	-2.7%
क्षमता उपयोग	%	-	0.3%	3.1%	-0.1%
लाभ/हानि	%	-	77.9%	-436.0%	-57.6%
नकद लाभ	%	-	128.2%	-617.8%	-90.6%
पीवीआईटी	%	-	82.1%	-608.2%	-55.1%
आरओसीई	%	-	82.9%	-540%	-74.6%

64. यह नोट किया जाता है कि उत्पादन और क्षमता उपयोग के संदर्भ में सकारात्मक वृद्धि हुई है, जबकि लाभ, नकद लाभ, पीवीआईटी और आरओसीई के संदर्भ में वृद्धि नकारात्मक है।

vii. पाटन मार्जिन

65. यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन सकारात्मक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन जारी है।

viii. कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

66. आयात कीमतें बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों को सीधे प्रभावित कर रही हैं। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पहुंच मूल्य न केवल उनकी निवल बिक्री कीमत से कम है, बल्कि उत्पादन लागत के स्तर से भी कम है। इसके अतिरिक्त, संबद्ध आयातों की पहुँच कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास कर रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता में काफी गिरावट आई है और वित्तीय घाटे हुए हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटित आयात है।

ix. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

67. जांच की अवधि में घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा हो रहा है। पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को जिस प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, उससे उद्योग का संचालन प्रभावित हुआ है, जिससे पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है। घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है, इसलिए पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता केवल उत्पाद के निष्पादन के आधार पर निर्धारित नहीं होती है।

छ. गैर-आरोपण विश्लेषण

68. नियमावली के अनुसार, प्राधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अतिरिक्त ऐसे किसी भी ज्ञात कारक की जाँच करनी आवश्यक है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचा रहे हैं या पहुँचाने की संभावना रखते हैं, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जाए। यद्यपि वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा जाँच है और मूल जाँच में कारणात्मक संबंध की पहले ही जाँच की जा चुकी है, प्राधिकारी ने जाँच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाई है या पहुँचाने की संभावना है। यह भी जाँच की गई कि क्या नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति में योगदान दिया है या योगदान देने की संभावना है।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

69. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों को छोड़कर अन्य देशों से आयात नगण्य हैं या आयात ऊँची कीमतों पर हुए हैं। इसलिए, तीसरे देशों से आयात घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकते।

ख. मांग में संकुचन और/अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन

70. क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

71. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है और देश में इनका स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। किसी भी हितवद्ध पक्षकार द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पता चले कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन आया है।

घ. प्रौद्योगिकी का विकास

72. प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

ङ. निर्यात निष्पादन

73. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है। किसी भी स्थिति में, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निर्यात में वृद्धि हुई है।

च. खपत की पद्धति में परिवर्तन

74. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों और भारत में आयातित सामान तुलनीय हैं और अंतिम प्रयोक्ता इन सामानों को परस्पर परिवर्तनीय पाते हैं। खपत की पद्धति में संभावित परिवर्तन ऐसा कारक नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति हो सकती हो।

छ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता

75. क्षति अवधि के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कोई कारण नहीं रही है।

ज. आकस्मिक लिंक को प्रभावित करने वाले कारक

1. निम्नलिखित मानदंड चीन जनवादी गणराज्य से आयातों और शुल्क समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करते हैं:
 - i. मौजूदा शुल्कों के बाद भी आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप शुल्क लागू होने के बावजूद चीन जनवादी गणराज्य से आयात में सर्वकालिक उच्च स्तर तक वृद्धि हुई है।
 - ii. जैसे-जैसे संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई।
 - iii. जबकि बिक्री लागत और बिक्री मूल्य दोनों में वृद्धि हुई, बिक्री मूल्य में वृद्धि बिक्री लागत में वृद्धि से कम थी। मूल्य दमन के परिणामस्वरूप लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल के संबंध में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में उल्लेखनीय गिरावट आई।
 - iv. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता समान रही है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री भी बढ़ी है। हालाँकि, अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के प्रयास में, घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है।
 - v. मौजूदा शुल्कों के बावजूद, वर्तमान जांच अवधि में निर्धारित क्षति मार्जिन और डंपिंग मार्जिन पर्याप्त है।
2. इस प्रकार यह देखा गया है कि पीयूसी पर मौजूदा शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयातों के कारण निरंतर क्षति हुई।

ज. क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन

76. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति-रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति-रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से प्राप्त पहुँच कीमत की तुलना हेतु क्षति-रहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षति-रहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ भी यही व्यवहार किया गया है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत पर कोई असाधारण या

अनावर्ती व्यय नहीं लगाया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल अचल संपत्तियां और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी, ताकि नियमावली के अनुबंध III में निर्धारित गैर-क्षतिकारक कीमत निकाली जा सके और उसका पालन किया जा रहा है।

क्षति मार्जिन

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	चीन जन.गण.	हांगकांग
1.	क्षति रहित कीमत	डॉ./एमटीआर	***	***
2.	पहुंच कीमत	डॉ./एमटीआर	***	***
3.	क्षति मार्जिन	डॉ./एमटीआर	***	***
4.	क्षति मार्जिन	%	***	***
5.	क्षति मार्जिन	रेंज	80-90	20-30

झ. क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना

झ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

77. घरेलू उद्योग ने पाटन या क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं -

- जांच की अवधि में आयात अपने उच्चतम स्तर पर हैं। पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में शुल्कों में वृद्धि के बाद भी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहा।
- आयात कीमत 2023-24 से कम हो गई है और जांच की अवधि में तेजी से गिरी हैं। पिछली निर्णायक समीक्षा जांच के बाद से बिक्री लागत की बिक्री कीमत से तुलना करने पर, लागत और आयात कीमत के बीच का अंतराल लगातार बढ़ता गया है।
- संबद्ध देशों से जारी पाटन ने घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद के लिए उचित कीमत वसूलने से रोक दिया है।
- मौजूदा शुल्कों के बावजूद (क) आयात की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (ख) शुल्कों को जोड़ने के बाद भी कीमत और लागत में कटौती सकारात्मक है, और (ग) पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं। यह स्वयं दर्शाता है कि शुल्कों को क्यों जारी रखा जाना चाहिए और बढ़ाया जाना चाहिए।
- घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर इस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि पीबीटी, नकद लाभ और आरओसीई सभी जांच की अवधि में नकारात्मक हैं। यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है, तो इससे घरेलू उद्योग का निष्पादन और भी खराब हो जाएगा और आयात भारतीय बाजार में आयातों की बाढ़ आ जाएगी।
- वर्तमान जांच में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन, प्राधिकारी द्वारा पिछली दो जांचों में निर्धारित मार्जिन से अधिक है।
- चीन संबद्ध वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास उनकी घरेलू माँग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण क्षमताएँ हैं।
- चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के लिए विशाल क्षमताएँ हैं, जो घरेलू बाजार की माँग से कहीं अधिक हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़े उत्पादकों में से एक की क्षमता भी भारतीय माँग से अधिक है।
- चीन विश्व में संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा निर्यातक है। संबद्ध देशों के उत्पादक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं, जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पिछली जांच में भी नोट किया गया है।
- वैश्विक फ्लैक्स उत्पादन में चीन वैश्विक बाजार में अग्रणी है। पिछले बारह महीनों में मूल्य के हिसाब से वैश्विक फ्लैक्स निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 38.7% से अधिक और मात्रा के हिसाब से 50% से अधिक है।
- मौजूदा शुल्कों को समाप्त करने से ऐसे आयात भारत की ओर मुड़ जाएँगे और पाटन में और तेजी आएँगी।

- xii. फ्लैक्स फैब्रिक उत्पादन के कच्चे माल, फ्लैक्स यार्न पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार आवश्यक है ताकि उस पर अतिरिक्त शुल्क प्रभावी रहे। फ्लैक्स फैब्रिक पर निरंतर शुल्क के अभाव में, आयातक सीधे चीन से तैयार फैब्रिक प्राप्त करके यार्न पर लगाए गए शुल्क को आसानी से दरकिनारा कर देंगे, जहाँ उत्पादक आमतौर पर ऊर्ध्वाधर एकीकृत संस्थाओं के रूप में काम करते हैं, और एक ही कंपनी में यार्न और फैब्रिक दोनों का निर्माण करते हैं।
- xiii. भारत संबद्ध सामानों के सबसे बड़े बढ़ते बाजारों में से एक है। जबकि वैश्विक आयात मात्रा में गिरावट के साथ वैश्विक फ्लैक्स फैब्रिक व्यापार में मंदी देखी जा रही है, भारत सबसे तेजी से बढ़ते गंतव्य बाजार के रूप में उभरा है।
- xiv. भारत वैश्विक स्तर पर चीनी आयात द्वारा सबसे अधिक प्रवेश वाले बाजारों में से एक है।
- xv. भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है और सबसे पहले कीमत के आधार पर खरीद का फैसला करता है। यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं, तो घरेलू उद्योग पाटित आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी बिक्री कीमतों को और कम करना होगा, जिससे क्षति और बढ़ जाएगी।
- xvi. चीन जन.गण. से तीसरे देशों को होने वाले आयात भारत में आयात कीमत से कम हैं, जिससे भारत संबद्ध देशों के उत्पादकों के लिए एक आकर्षक बाज़ार बन गया है।
- xvii. हांगकांग के कई उत्पादकों की, हालाँकि वे या तो हांगकांग में निगमित हैं या उनका मुख्यालय हांगकांग में है, चीन जन.गण. में उत्पादन सुविधाएँ हैं। इसलिए, हांगकांग से होने वाले आयातों का मूल चीन जन.गण. में है।
- xviii. पिछली जाँच में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सभी संभावित मानदंड अभी भी कायम हैं।
- xix. चीन जन.गण. के उत्पादकों को सरकार से बहु-स्तरीय लाभ प्राप्त होते हैं जिससे उत्पादन के प्रत्येक कारक की लागत कम हो जाती है। इसलिए चीन जन.गण. के उत्पादक एक निष्पक्ष बाज़ार अर्थव्यवस्था की तुलना में काफ़ी कम उत्पादन लागत पर उत्पादन कर सकते हैं।
- xx. अतः चीन में उत्पादक बाज़ार बलों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं और कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव से भी अछूते रहते हैं और शुल्कों को आसानी से वहन कर लेते हैं।
- xxi. जैसा कि पिछली निर्णायक समीक्षा जाँच में शुल्कों में वृद्धि के बावजूद बढ़े हुए पाटन से सिद्ध है, संबद्ध देशों के उत्पादक भारत द्वारा लगाए गए शुल्कों को वहन कर रहे हैं।
- xxii. क्षति अवधि के दौरान कच्चे माल की लागत में वृद्धि के बावजूद, आयात मूल्य में कमी आई है। तुलनात्मक रूप से, लागत और आयात कीमत के बीच का अंतर पहली निर्णायक समीक्षा जांच से बढ़ गया है।
- xxiii. निर्णायक समीक्षा में, संपूर्ण जांच का ध्यान क्षति की संभावना पर होता है।
- xxiv. संभावना के मामले में, भले ही एक या दो मापदंड संतुष्ट हों, शुल्क जारी रखा जा सकता है

झ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

- 78. निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

झ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 79. वर्तमान समीक्षा चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। पाटनरोधी नियमावली के तहत, प्राधिकारी को यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या मौजूदा शुल्क को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।
- 80. नियमावली के अनुबंध II के खंड (vii) में अन्य बातों के साथ-साथ उन कारकों का प्रावधान है जिन्हें संभावित विश्लेषण के लिए ध्यान में रखा जाना आवश्यक है, अर्थात्,
 - क. भारत में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर, जो आयात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है।
 - ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य, या आसन्न, पर्याप्त वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित किए गए निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती है, जिसमें किसी भी अतिरिक्त निर्यात को वहन करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है।

ग. क्या आयात उन कीमतों पर आ रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा ह्रासमान प्रभाव पड़ेगा और आगे के आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना होगी; और

घ. वस्तु की मासूची की जाँच की जा रही है।

81. प्राधिकारी ने धारा 9क (5), नियम 23 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों, और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना की जाँच की है। प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं -

i. पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि दर

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि लगाए गए शुल्कों के बावजूद, जाँच अवधि में आयात उच्चतम स्तर पर हैं। इसके अतिरिक्त, विद्यमान शुल्कों के बावजूद आयात जारी रहे हैं। मूल जाँच में, मानक शुल्क लगाए गए थे, जिन्हें बाद में प्रथम निर्णायक समीक्षा में शुल्क के निर्धारित रूप में परिवर्तन किया गया था। द्वितीय निर्णायक समीक्षा जाँच में, चूँकि आयात जारी रहे और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई, अतः शुल्क बढ़ा दिए गए थे। ऐसे बढ़े हुए शुल्कों के बावजूद संबंधित देशों से पाटित आयात जारी रहे हैं। क्षति अवधि के दौरान आयातों की गतिशीलता नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।

विवरण	संबद्ध देश – चीन	संबद्ध देश – हांगकांग
	000' एमटीआर	000' एमटीआर
2004-05	7,030	633
2005-06	8,254	986
2006-07	9,463	1,259
2007-08	11,209	1,321
2010-11	5,200	400
2011-12	5,200	400
2012-13	4,900	400
अक्तू.'12-सित.'13 (एसएसआर-I की जाँच अवधि)	4,600	300
2013-14	4,700	200
2015-16	5,088	136
2016-17	4,466	88
2017-18	4,781	74
अप्रै.-18 से जून-19 (एसएसआर-II की जाँच अवधि)	5,137	480
2021-22	10,641	78
2022-23	11,531	1
2023-24	15,945	89
जाँच की अवधि	16,112	98

स्रोत: पिछले जांच परिणामों से अप्रैल-18 से जून-19 (एसएसआर-II की जांच अवधि) तक की सूचना। डीजी सिस्टम से आयात आंकड़ों के आधार पर 2021-22 से जांच अवधि तक की सूचना।

83. चीन से आयात काफी मात्रा में बढ़े हैं और इसमें 51% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, शुल्क समाप्त करने से आयातों में और वृद्धि होने की संभावना है।

ii. संबद्ध देशों में उत्पादकों द्वारा निरंतर पाटन

84. प्राधिकारी नोट करते हैं कि शुल्क लगाए जाने के बावजूद, संबद्ध देशों से आयात पाटित और क्षतिकारक कीमतों पर जारी हैं। अतः, प्राधिकारी का मानना है कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भी पाटन जारी रहने की संभावना है।

पाटन मार्जिन			
चीन जन.गण.			
मूल जांच	पहली निर्णायक समीक्षा	दूसरी निर्णायक समीक्षा	वर्तमान जांच
219%	30% - 40%	80%-100%	110%-120%
हांग कांग			
मूल जांच	पहली निर्णायक समीक्षा	दूसरी निर्णायक समीक्षा	वर्तमान जांच
120%	20% - 30%	20%-40%	40%-50%

iii. महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछली जाँचों से रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार, चीन के उत्पादकों के पास पर्याप्त मात्रा में मुक्त रूप से निपटान योग्य काफी क्षमताएँ हैं। इसके अतिरिक्त, चीन जन.गण. संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछली जाँच में, प्राधिकारी ने निम्नलिखित चीनी उत्पादकों की क्षमताओं को नोट किया था और घरेलू उद्योग ने उन्हें जारी रखे जाने के साक्ष्य दिए हैं।

क्र.सं.	उत्पादक	क्षमता(एमटी)
1.	चांगशु लिफेंग लिनेन एंड कॉटन वीविंग कं.	2000,000 मीटर/वर्ष
2.	हैनैंग युटेक्स कं. लि.	250000 मीटर /दिन
3.	वुजियांग टंगचाओ टेक्सटाइल कं. लि.	10,00,000 मीटर/ माह
4.	क्यूइंगडाओ युझोऊ नित एंड टेक्सटाइल कं. लि.	40,000 मीटर/ वर्ष
5.	वुजियांग मैशंडा सिल्क टेक्सटाइल कं. लि.	20,00,000 मीटर/ वर्ष
6.	हुनान हुआशेंग इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग कं.	24000000 मीटर/ वर्ष

स्रोत: वेबरिसोर्स¹

86. घरेलू उद्योग ने वर्तमान जांच में और अधिक चीनी उत्पादकों की सूचना प्रदान की है-

क्रम. सं.	उत्पादक	क्षमता (एमटी)
1.	शानडोंग मेंगयिन कॉटन टेक्सटाइल कं. लि.	यार्न - 22,000 एमटी/वर्ष; फैब्रिक - 60,000,000
2.	किकिहर जियांगयु टेक्सटाइल कं. लि.	यार्न- 10,000 टन/वर्ष; फैब्रिक - 12,000,000/वर्ष
3.	झुचेंग डेलियुआन टेक्सटाइल कं. लि.	यार्न - 8,900 टन/वर्ष; फैब्रिक - 63,000,000/वर्ष
4.	हुबेई जिंघुआ टेक्सटाइल ग्रुप कं. लि.	यार्न - 20,000 टन/वर्ष; फैब्रिक - 15,000,000 मीटर

¹ शानडोंग मेंगयिन कॉटन टेक्सटाइल कं. लि. <http://www.my-textile.com/?user=mymfc&language=en>; 2 किकिहर जियांगयु टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड <https://www.chinatexnet.com/ChinaSuppliers/2960/QIQIHAR-XIANGYU-TEXTILE-COMPANY-LTD-.html>; 3 झुचेंग डेलियुआन टेक्सटाइल कं. लि. <https://www.chinatexnet.com/ChinaSuppliers/864/ZhuchengDeliyuan-Textile-Co-Ltd-.html> 4 हुबेई जिंघुआ टेक्सटाइल ग्रुप कं. लि. <https://www.manufacturer.com/jinghuatextile-supplier-profile>; 5 शाओजिंग वु यु एं लिनेन एंड कॉटन टेक्सटाइल कं. लि. एंड शाओजिंग यिफुनियन टेक्सटाइल कं. लि. <http://chinawyxq.com/> 6 हांगझोऊ. हांगमिन मेशिडा प्रिंटिंग डाइंग कं. लि. <http://en.hz-meishida.com/about.html>

5.	शाओजिंग वुयुजिनकि लिनेन कॉटन टेक्सटाइल कं. लि. एंड शाओजिंग यिफुनियन टेक्सटाइल कं. लि.	25,000,000 मीटर/वर्ष
6.	हांगझोऊ हांगमिन मेईशिदा प्रिंटिंग डाइंग कं. लि.	200,000,000 मीटर/वर्ष
7.	कुल क्षमताएं	37,50,00,00 मीटर/वर्ष

स्रोत – वेबरिसोर्स²

87. उत्पादकों ने क्षति अवधि के दौरान भारतीय बाजार में निर्यात किया है और उनके पास इतनी महत्वपूर्ण क्षमता है कि अकेले एक उत्पादक की क्षमता भी पूरी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

iv. फ्लैक्स फैब्रिक बाजार में चीन का प्रभुत्व

88. आवेदक ने अपने इस दावे को पुष्ट करने के लिए कि चीन दुनिया में फ्लैक्स फैब्रिक का अग्रणी आपूर्तिकर्ता है, फ्लैक्स के वूवन फैब्रिक्स(2025) की बाजार रिपोर्ट के लिए क्रास कंट्री रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह देखा जाता है कि रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि पिछले 12 वर्षों में मात्रा में 50% से अधिक और मूल्य में वैश्विक फ्लैक्स फैब्रिक निर्यातों में 38.7% से अधिक चीन का हिस्सा है। आवेदक ने एक दूसरा साक्ष्य भी दिया है जिसमें यह दर्शाया है कि चीन विश्व³ में फ्लैक्स वूवन फैब्रिक का सबसे बड़ा निर्यातक है।

89. रिपोर्ट से यह नोट किया गया है कि चीन न केवल संबद्ध वस्तुओं की वैश्विक मांग का 50% पूरा करता है, बल्कि भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात कीमत 2023 से कम हो गई और भारत चीनी आयातों द्वारा तीसरा सबसे अधिक प्रवेश वाला बाजार है।

90. अतः, पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, इन निर्यातकों द्वारा पाटित और क्षतिकारक कीमत पर आयात में वृद्धि किए जाने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचेगी।

v. उत्पाद और भारतीय बाजार की कीमत संवेदनशीलता के संदर्भ में घरेलू उद्योग की सुवेद्यता

91. प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध को नोट करते हैं कि भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है, जहाँ क्रेता का निर्णय उत्पाद के कीमत निर्धारण से निर्धारित होता है। संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयातों की उपलब्धता न केवल उपभोक्ताओं को ऐसे पाटित आयातों की ओर आकर्षित करेगी, बल्कि घरेलू उद्योग को ऐसे पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतें कम करने के लिए भी बाध्य करेगी। संबद्ध देशों द्वारा दीर्घकालिक पाटन परिपाटी इसकी पुष्टि करती है। इसलिए, यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं, तो आयात से घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने की संभावना है।

vi. उपायों के अभाव में कीमत कटौती

92. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछली निर्णायक समीक्षा जाँच में शुल्कों में वृद्धि और वर्तमान में शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद, संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ-साथ बिक्री लागत की भी कटौती कर रहे हैं। मौजूदा शुल्कों को जोड़ने के बावजूद कीमत कटौती सकारात्मक है। इसलिए, शुल्क की समाप्ति की स्थिति में, इस तरह के कटौती मार्जिन में और वृद्धि होने की ही संभावना है।

vii. ऐसे मूल्यों पर आयात जो घरेलू उद्योग की कीमतों को काफी हद तक ह्रास या न्यूनीकरण कर सकते हैं

² चांगशु लिफेंग लिनेन एंड कॉटन वीविंग कं. <https://www.globalsources.com/si/AS/ChangshuLifeng/6008845790883/Homepage.htm>; हैनिंग युटेक्स कं. लि.

https://yufangzhizao.en.alibaba.com/company_profile.html; वुजियांग टंगचाओ टेक्सटाइल कं. लि.

<https://tangchaotex.diytrade.com/>; क्विंगडाओ युझोऊ निट एंड टेक्सटाइल कं. लि.

www.chinatexnet.com/ChinaSuppliers/16212/; वुजियांग मैशुडा सिल्क टेक्सटाइल कं. लि.

<https://www.chinatexnet.com/ChinaSuppliers/14310/>

³ <https://oec.world/en-> दि आब्जरवेटरी ऑफ़ इकॉनामिक काम्प्लेसिटी (ओईसी) एक ऑनलाइन डाटा विजुएलाइजेशन और वितरण मंच है जिसमें भौगोलिक और आर्थिक क्रियाकलापों की गतिशीलता पर जोर दिया जाता है। ओईसी निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और शैक्षणिक क्षेत्र में विश्लेषकों को शक्तिशाली बनाने के लिए विभिन्न स्रोतों से आंकड़ा एकत्रित करता है और वितरित करता है।

93. संबद्ध आयात पहले से ही ऐसी कीमत पर आ रहे हैं जो घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है। जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत में वृद्धि की दर से समान वृद्धि नहीं हुई, जो क्षति अवधि के दौरान कीमत ह्रास को दर्शाता है। यह भी नोट किया जाता है कि आयातों की पहुँच कीमत संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत के स्तर से कम रही है। पाटनरोधी शुल्कों के अभाव में संबद्ध आयातों से ऐसे कीमत प्रभाव जारी रहने की संभावना है।

viii. हांगकांग के उत्पादक चीन जन.गण. के मूल निवासी हैं

94. यह नोट किया जाता है कि हांगकांग में संबद्ध सामानों के कई उत्पादक चीन जन.गण. मूल के हैं। आवेदक ने हांगकांग टेक्सटाइल्स एसोसिएशन की सदस्य, स्टार एंटरप्राइज (एचके) कंपनी लिमिटेड के बारे में सूचना प्रदान की है, जो यद्यपि हांगकांग में निगमित है, परंतु इसकी उत्पादन सुविधाएँ मुख्यभूमि चीन⁴ में हैं। इसी प्रकार, तुंग गा ग्रुप, जिसका मुख्यालय भी हांगकांग में है, के कारखाने और मिलें चीन जनगण⁵ में हैं। इसके अलावा, यद्यपि यह सूचना हांगकांग में हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी, फिर भी कोई खंडन नहीं किया गया है।

ज. पाटन और क्षति संभावना संबंधी निष्कर्ष

95. मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने की स्थिति में, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, पाटन जारी रहने और घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचने की संभावना है:

- क. मौजूदा शुल्कों के बावजूद, पाटन जारी रहा है और आयात जाँच अवधि में उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। अतः, शुल्कों की समाप्ति से आयातों में और वृद्धि होने की संभावना है।
- ख. संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमताएँ हैं।
- ग. संबद्ध देशों के निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं।
- घ. फ्लैक्स फैब्रिक बाजार में चीन का वैश्विक प्रभुत्व है, जो वैश्विक मांग का 50% आपूर्ति करता है। यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाएँ, तो आगे के आयातों को आसानी से भारतीय बाजार में भेजा जा सकता है।
- ङ. संबद्ध देशों का भारतीय बाजार में पाटन का एक लंबा इतिहास रहा है।
- च. भारतीय बाजार कीमत संवेदी है। संबद्ध देशों से कम कीमत वाले आयात भारतीय उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें और कम करने के लिए मजबूर करेंगे।
- छ. मौजूदा शुल्कों के बावजूद कीमत कटौती सकारात्मक है। अतः, शुल्क समाप्त होने से कटौती मार्जिन में वृद्धि होने की संभावना है।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

ट.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

96. घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन पश्चात की गई टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:

- क. संबद्ध सामानों का आयात जाँच की अवधि में उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। शुल्क लगाए जाने के बाद भी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का पाटन जारी रहा। पाटनरोधी शुल्क भारतीय रुपये में लगाए गए थे, जिसे पहली निर्णायक समीक्षा जाँच में अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित कर दिया गया था, लेकिन चूँकि आयात जारी रहा और क्षति हुई, इसलिए दूसरी समीक्षा जाँच में शुल्क बढ़ाने पड़े। वर्तमान मामले में, आयात जारी रहा है और 2023-24 से इसमें तेजी आई है।
- ख. वर्तमान पाटन और वर्तमान क्षति का तथ्य अपने आप में पाटन और क्षति की संभावना को दर्शाने के लिए पर्याप्त है, विशेष रूप से वर्तमान जैसी स्थिति में जहाँ (क) आयात की मात्रा बहुत अधिक है, (ख) कीमत कटौती बहुत अधिक है, (ग) पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।

⁴ <https://www.starent.com.hk>

⁵ <https://www.tungga.com.cn/en/>

- ग. चीन दुनिया में संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्षमताएँ इतनी विशाल हैं कि ये भारतीय माँग को कई गुना अधिक पूरा कर सकती हैं।
- घ. चीन वैश्विक फ्लैक्स उत्पादन और निर्यात में वैश्विक बाजार में अग्रणी है। चीन अत्यधिक निर्यातोन्मुखी है। संबद्ध देशों के अधिकांश उत्पादक विचाराधीन उत्पाद का निर्यात करते हैं।
- ङ. भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत संवेदी है। उपभोक्ता अपनी खरीद का निर्णय स्वयं लेते हैं, और कीमत ही सर्वोपरि होता है। ऐसे में, संबद्ध देशों से बाजार में ऐसे कम कीमत वाले आयातों की उपलब्धता निश्चित रूप से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
- च. हांगकांग में कई फ्लैक्स फैब्रिक उत्पादक चीनी मूल के हैं। उदाहरण के लिए, हांगकांग टेक्सटाइल्स एसोसिएशन की सदस्य, स्टार एंटरप्राइज (एचके) कंपनी लिमिटेड, हांगकांग में निगमित हुई थी, लेकिन कताई और बुनाई मिलों सहित मुख्यभूमि चीन में इसकी उत्पादन सुविधाएँ हैं।
- छ. फ्लैक्स यार्न पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को प्रभावी बनाए रखने के लिए वर्तमान पाटनरोधी शुल्क बढ़ाया जाना आवश्यक है, जो फ्लैक्स फैब्रिक उत्पादन के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है। फ्लैक्स फैब्रिक पर निरंतर शुल्कों के अभाव में, आयातक सीधे चीन से तैयार फैब्रिक प्राप्त करके यार्न पर लगाए गए शुल्क को आसानी से दरकिनार कर देंगे, जहाँ उत्पादक आमतौर पर एक ही कंपनी में यार्न और फैब्रिक दोनों का निर्माण करते हुए, ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत कंपनियों के रूप में काम करते हैं।
- ज. फ्लैक्स फाइबर को लिनन यार्न में परिवर्तित किया जाता है, जिसे बाद में फैब्रिक में बुना जाता है। फ्लैक्स की कीमत में वृद्धि के बावजूद, विशेष रूप से 2023-24 और जाँच की अवधि में, संबद्ध सामानों की आयात कीमत में गिरावट आई। अतः घरेलू उद्योग को लागत में वृद्धि के अनुपात में अपने बिक्री कीमतों में वृद्धि करने से रोका गया, जिससे वित्तीय घाटे बढ़ गए।
- झ. चीन सरकार टेक्सटाइल उद्योग को भारी सब्सिडी देती है। चीनी निर्माता प्रभावी रूप से उत्पादन के सभी कारक रियायती या बाजार से कम कीमतों पर प्राप्त करते हैं।
- ञ. विभिन्न विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा उपायों की लंबी अवधि देखी जा सकती है, कुछ क्षेत्राधिकार 40 वर्षों से अधिक के लिए उपाय लागू कर रहे हैं।
- ट. विचाराधीन उत्पाद एक प्रीमियम टेक्सटाइल फैब्रिक उत्पाद है। लिनन एक बहुत ही प्रीमियम टेक्सटाइल है जिसका उपयोग और पहनावा मुख्य रूप से समाज के अभिजात्य वर्ग द्वारा किया जाता है। लिनन उत्पादों का उपयोग आम जनता द्वारा नहीं किया जाता है।
- ठ. उत्पाद की लागत के कारण उपयोग सीमित नहीं है, बल्कि नियमित रखरखाव की उच्च और आवृत्ति लागत है जो केवल समाज के अभिजात वर्ग द्वारा उपयोग को सीमित करने का प्राथमिक कारण है। इस प्रकार इन क्षेत्रों पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव बहुत कम होगा।
- ड. निर्धारित एनआईपी बहुत कम है, जिससे क्षति मार्जिन का स्तर कम हो गया है, क्योंकि कच्चे माल की कीमत अनुचित रूप से कम मानी गई है, कच्चे माल की औसत लागत पर विचार करना अनुचित है, विज्ञापन लागत को एनआईपी की गणना में शामिल किया जाना चाहिए, विभाजन पद्धति को अस्वीकार करना अनुचित है।

ट.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

97. प्रकटन विवरण जारी होने के बाद निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जाँच

98. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के बाद किए गए अनुरोधों की जाँच की है और नोट करते हैं कि अधिकतर टिप्पणियाँ दोहराई गई हैं, जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जाँच की जा चुकी है और प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में पर्याप्त रूप से हल की गई हैं। इसके अतिरिक्त, एनआईपी के निर्धारण के संबंध में किए गए नए अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना, अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में

निर्धारित सिद्धांतों और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए एनआईपी का निर्धारण किया गया है।

ठ. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ठ.1 घरेलू उद्योग के अनुरोध

99. जनहित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद, भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात पाटित कीमतों पर जारी है। यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे पर्याप्त आधार हैं जो दर्शाते हैं कि पाटन में और वृद्धि होगी।
- ख. शुल्कों की मौजूदगी और पिछली जाँच में शुल्कों में वृद्धि के बावजूद जाँच अवधि में चीन जन.गण. से आयात उच्चतम स्तर पर है।
- ग. देश में संबद्ध सामानों की माँग में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि संबद्ध देशों के आयात में काफी वृद्धि हुई है।
- घ. पाटित आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत, दोनों की कटौती कर रहे हैं। ऐसे पाटित आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, घरेलू उद्योग को काफी कम कीमतों पर बेचना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय घाटा होता है। जाँच अवधि के दौरान लाभ, निवेश पर लाभ और नकद लाभ सभी नकारात्मक हैं।
- ङ. जैसा कि वर्तमान जाँच से स्पष्ट है, संबद्ध देशों में पाटन और उसके परिणामस्वरूप क्षति बढ़ने की प्रबल संभावना है और मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति होने की संभावना है।
- च. उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्र रूप से निपटान योग्य क्षमताएं हैं जो भारतीय माँग से कई गुना अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, संबद्ध देशों के निर्यातक अत्यधिक निर्यातान्मुख हैं।
- छ. यार्न और फैब्रिक व्यावहारिक रूप से एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। यदि विचाराधीन उत्पाद की अर्थक्षमता को खतरा होता है, तो इसका प्रभाव यार्न की आर्थिकी पर भी पड़ेगा, जो यार्न की कैप्टि खपत पर निर्भर है। अतः, शुल्क समाप्त होने से ऊँचे स्तर के उद्योग पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ज. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद और यार्न के उत्पादन में लगभग *** कर्मचारियों को रोजगार देता है। इसलिए एक अनुमान के अनुसार, लगभग *** कर्मचारी विचाराधीन उत्पाद और यार्न के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। यदि शुल्क समाप्त कर दिए जाते हैं, तो भारतीय उद्योग, जिसमें उद्योग में कार्यरत सभी लोग शामिल हैं, गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।
- झ. जैसा कि प्राधिकारी ने पिछली जाँच में नोट किया है, विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन एमएसएमई क्षेत्र में केंद्रित है। जब बढ़े हुए और मौजूदा शुल्कों के बावजूद, आयात अपने उच्चतम स्तर पर बढ़ गया है और पाटन मार्जिन में वृद्धि हुई है, तो भारतीय उद्योग की रक्षा के लिए शुल्कों के बिना, एमएसएमई क्षेत्र ध्वस्त हो जाएगा और संगठित क्षेत्र को गंभीर क्षति होगी।
- ञ. शुल्कों की मात्रा में उचित वृद्धि के साथ, संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क को पांच वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ाया जाना आवश्यक है। वर्तमान मात्रा प्रभावी रूप से पाटन का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- ट. जाँच की अवधि के बाद की अवधि की सूचना भी निरंतर पाटन और क्षति मार्जिन को महत्वपूर्ण रूप से सकारात्मक स्तर पर दर्शाती है जो वर्तमान शुल्कों की समाप्ति के मामले में संभावित स्थिति का एक संकेतक है।
- ठ. पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने या बढ़ाने का नगण्य प्रभाव होगा। संबद्ध सामानों के उपभोक्ता उच्च मध्यम वर्ग और समाज के अभिजात वर्ग हैं। निचले स्तर के उत्पाद में संबद्ध सामानों की लागत में वृद्धि मुश्किल से 10-

15% है। यह क्षति अवधि के दौरान संबद्ध सामानों की लागत में काफी वृद्धि के बावजूद, संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि से स्पष्ट होता है।

- ड. किसी भी निर्यातक, आयातक या प्रयोक्ता ने वर्तमान जाँच या पिछली निर्णायक समीक्षा जाँच में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए, गैर-भागीदारी का तात्पर्य यह है कि शुल्कों को जारी रखने और बढ़ाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- ढ. लंबे समय से शुल्क लागू रहने के बावजूद उपभोक्ताओं पर किसी प्रतिकूल प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है।
- ण. विचाराधीन उत्पाद में कीमत वृद्धि बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के बाजार द्वारा आसानी से वहन कर ली जाती है।
- त. भारतीय उद्योग को संबद्ध सामानों पर शुल्क लगाने से लाभ हुआ है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा क्षमता उपयोग और उत्पादन में वृद्धि से स्पष्ट है। तीव्र पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के कारण घरेलू उद्योग को कीमत क्षति हुई है।
- थ. भारतीय बाजार में समान अवसर सुनिश्चित करने, समान वस्तु के घरेलू उत्पादन की अर्थक्षमता सुनिश्चित करने और भारत को उत्पाद पर पूरी तरह से आयात पर निर्भर होने से रोकने के लिए पाटनरोधी शुल्क बढ़ाए जाने अनिवार्य हैं।
- द. एक निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी भारतीय बाजार सुनिश्चित करने के लिए एक गतिशील घरेलू बाजार की उपस्थिति आवश्यक है, जिसके अभाव में संबद्ध देशों से आयात पूरी तरह से हावी हो जाएगा।
- ध. उत्पाद का मज़बूत और प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन व्यापक जनता के हित में है। इसके अलावा, उत्पादन में लगे एमएसएमई की सुरक्षा और उनमें रोज़गार को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है।

ठ.2 हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

100. भारतीय उद्योग के हितों के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

101. प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया कि क्या पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से जनता के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने शुल्कों में वृद्धि से भारतीय बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता पर पड़ने वाले प्रभाव, उत्पाद के प्रयोक्ताओं के साथ-साथ घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया। यह निर्धारण वर्तमान जाँच प्रक्रिया के दौरान किए गए अनुरोधों और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर है।
102. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने प्रयोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की ताकि वे वर्तमान समीक्षा जाँच के संबंध में संगत सूचना दे सकें, जिसमें उनके प्रचालन पर पाटनरोधी शुल्क का संभावित प्रभाव भी शामिल है। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोतों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, और पाटनरोधी शुल्क जारी रहने से उत्पन्न नई स्थिति के साथ समायोजन में तेजी लाने या देरी करने वाले संभावित कारकों के बारे में सूचना मांगी।
103. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस समीक्षा जाँच में सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था। केवल घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। प्रयोक्ताओं उद्योग ने न तो आर्थिक हित प्रश्नावली दायर की है और न ही प्रयोक्ता प्रश्नावली का उत्तर दायर किया है।
104. यह नोट किया जाता है कि सामान्यतः, पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार परिपाटियों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से विचाराधीन उत्पाद

तथा भारत में संबद्ध सामानों का प्रयोग कर विनिर्मित अन्य निचले स्तर के उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय लगाने से कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से यार्न के घरेलू उद्योग और संबद्ध ऊचे स्तर के उद्योग की गिरावट रुकेगी जो संबद्ध देशों से कम कीमत के आयातों के परिणामस्वरूप हो सकती है तथा विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं को विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

105. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि भारत में अनेक उत्पादक हैं, और उनमें से अधिकतर असंगठित एमएसएमई क्षेत्र में हैं। अतः, घरेलू उत्पादकों के बीच काफी कीमत प्रतिस्पर्धा है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रयोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता है। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क का कोई अनुचित लाभ संभव नहीं है।
106. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि निचले स्तर के उत्पाद, अर्थात् गारमेंट्स, में संबद्ध सामानों की लागत मुश्किल से 10 से 15% है, तथापि, उपभोक्ता कपड़े खरीदते समय परिधान में प्रयुक्त फैब्रिक की कीमत के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में बिक्री कीमत बढ़ी है और साथ ही, उत्पाद के लिए मांग में भी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि फैब्रिक विनिर्माता भी लागत में वृद्धि को तैयार उत्पाद पर डाल देते हैं, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन उत्पाद एक प्रीमियम टेक्सटाइल फैब्रिक उत्पाद है। अतः, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि शुल्क लगाया जाना व्यापक जनहित में होगा।

ड. निष्कर्ष

107. उपलब्ध सूचना, किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर रिकॉर्ड किया गया है तथा घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति की संभावना या जारी रहने के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि-
 - i. मौजूदा शुल्कों के बावजूद, संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में वृद्धि हुई है।
 - ii. चीन जन.गण. से आयात जांच की अवधि में अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गए। इसके अतिरिक्त, आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि से कहीं अधिक है।
 - iii. संबद्ध आयात, पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद, घरेलू कीमतों में काफी कटौती कर रहे हैं।
 - iv. कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि जिससे लागत में वृद्धि हुई, के बावजूद बिक्री कीमत आनुपातिक रूप से नहीं बढ़ पाई क्योंकि आयातों के पहुँच मूल्य में और गिरावट आई। आयातित संबद्ध सामानों से प्रतिस्पर्धा करने और बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए घरेलू उद्योग आनुपातिक रूप से अपनी कीमत बढ़ाने से रुका रहा है जिससे कीमत हास हुआ है।
 - v. घरेलू उद्योग की क्षमता पूरी क्षति अवधि में स्थिर रही है। क्षति अवधि के दौरान, संबद्ध सामानों की मांग में वृद्धि के अनुरूप, घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग और उत्पादन में वृद्धि हुई है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है। समग्र रूप से भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में और भी अधिक गिरावट आई है, जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
 - vi. संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के वित्तीय मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना जारी है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, नकद लाभ और आरओसीई में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को घाटा हो रहा है।
 - vii. शुल्कों के समाप्त होने की स्थिति में घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति की संभावना दर्शाने वाले पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।
 - क. विद्यमान शुल्कों के बावजूद, संबद्ध सामानों का पाटन जारी है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध देशों का भारतीय बाजार में पाटन का एक लंबा इतिहास रहा है और वे घरेलू मांग में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हासिल करते हैं।
 - ख. संबद्ध देशों के उत्पादकों के पास पर्याप्त क्षमताएँ हैं जो घरेलू मांग को कई गुना अधिक पूरा कर सकती हैं।
 - ग. संबद्ध देशों के निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं। बाजार अनुसंधान रिपोर्ट दर्शाती है कि चीन जन.गण. संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जो वैश्विक मांग का लगभग 50% आपूर्ति करता है।
 - घ. जबकि कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हुई, संबद्ध सामानों की आयात कीमत इनपुट कीमतों के अनुरूप नहीं बढ़ी जांच की अवधि में, संबद्ध सामानों की आयात कीमत, फ्लैक्स फाइबर की प्रचलित कीमत से नीचे गिर गई।

viii. अंतिम उपभोक्ता पर शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया जाता है।

ढ. सिफारिशें

108. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान कार्यवाहियां लागू कानून के अनुसार की गई थीं। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत् अधिसूचित किया गया था और उन्हें सूचना प्रदान करने तथा जांचाधीन मामलों में, जिनमें पाटन मार्जिन, कारणात्मक संपर्क, पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना और भारतीय उद्योग पर उपायों का प्रभाव शामिल था, अपने विचार प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। निर्णायक समीक्षा के अनुसरण में, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क जारी रखना वर्तमान मामले में आवश्यक है। तथापि, घरेलू उद्योग के अलावा किसी अन्य इच्छुक पक्ष ने प्रतिक्रिया नहीं दी या जांच में भाग नहीं लिया।
109. इस प्रकार, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित शुल्क तालिका के कॉलम 8 में दिए गए आंकड़ों के बराबर निश्चयात्मक शुल्क जारी रखने की सिफारिश करना उपयुक्त और आवश्यक मानते हैं। अतः, ऊपर सिद्ध किए गए अनुसार इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 8 में दर्शाई गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के सभी आयातों पर लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	प्रशुल्क मद	सामानों का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5309	फलैक्स अथवा लिनन फैब्रिक (निम्नलिखित टिप्पणी)	चीन जन.गण.	कोई	कोई	कोई	2.36	प्रति मीटर	यूएस.डा.
2	5309	फलैक्स अथवा लिनन फैब्रिक (निम्नलिखित टिप्पणी)	हांगकांग को छोड़कर कोई भी	चीन जन.गण.	कोई	कोई	2.36	प्रति मीटर	यूएस.डा.
3	5309	फलैक्स अथवा लिनन फैब्रिक (निम्नलिखित टिप्पणी)	हांगकांग	कोई	कोई	कोई	1.14	प्रति मीटर	यूएस.डा.

4	5309	फ्लैक्स अथवा लिनन फैब्रिक (निम्नलिखित टिप्पणी)	चीन को छोड़कर कोई भी	हांगकांग	कोई	कोई	1.14	प्रति मीटर	यूएस.डा.
---	------	--	----------------------------	----------	-----	-----	------	---------------	----------

टिप्पणी: "विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "फ्लैक्स अथवा लिनन फैब्रिक है जिसमें फ्लैक्स की मात्रा 50% से अधिक है"

110. इन जांच परिणामों के केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सिद्धार्थ महाजन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

FINAL FINDING

New Delhi, the 8th August, 2025

Case No. ADD (SSR) - 03/2025

Subject: Final finding in the sunset review investigation of anti-dumping duty imposed on imports of woven fabric (having more than 50% Flax content) commonly known as “Flax Fabric” from China PR and Hong Kong

F. No. 07/05/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as “Rules”).

The Designated Authority (hereinafter referred to as “the Authority”) received an application from M/s Grasim Industries Ltd. – Jaya Shree Textiles (hereinafter referred to as the ‘applicant’ or the ‘domestic industry’) for sunset review investigation on imports of woven fabric (having more than 50% Flax content) commonly known as “Flax Fabric” (hereinafter referred to as the “subject goods” or the “product under consideration” or the “PUC”), originating in or exported from China PR and Hong Kong (hereinafter referred to as the “subject countries”).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The original anti-dumping investigation concerning imports of product under consideration from China PR and Hong Kong was initiated by the Authority vide Notification No. 14/8/2008- DGAD dated 3rd October, 2008. The Authority notified preliminary finding recommending provisional antidumping duties on 17th February 2009. The provisional duties were imposed vide Customs Notification No. 30/2009-Customs dated 26th March, 2009. The Final Findings Notification was issued by the Authority vide Notification No. 14/08/2008-DGAD dated 1st October, 2009 recommending imposition of definitive antidumping duty. Definitive antidumping duties were imposed vide Customs Notification No. 142/2009- Customs (ADD) dated 21st December, 2009.
2. The Authority initiated first sunset review investigation vide Notification no. 15/30/2013- DGAD dated 10th March 2014. The Authority recommended modification and continuation of anti-dumping duties vide Notification No.15/30/2013-DGAD dated 9th June 2015. The same were imposed vide Notification No. 39/2015-Customs/ dated 12th August, 2015.
3. As imports continued to cause injury to the domestic industry despite existence of duties, M/s Grasim Industries Limited-Jaya Shree Textiles filed an application before the Authority to conduct a review investigation. The Authority initiated a second sunset review investigation vide Notification No. 7/26/2019-DGTR dated 23rd December 2019. The Authority recommended extension and enhancement of duties owing to continued dumping from subject countries on 17th August 2020. Accordingly, anti-dumping duties were extended at revised rates vide Notification No. 35/2020-Customs (ADD) dated 10th November, 2020.

4. The Authority, on the basis of a duly substantiated application filed by the Applicant with sufficient evidence of likelihood of dumping and injury, initiated the sunset review investigation vide Notification No.7/05/2025 DGTR dated 29th March, 2025, in accordance with Section 9A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-dumping Rules, to review the need for continued imposition of the antidumping duties in respect of the subject goods, originating in or exported from subject countries, and to examine whether the expiry of the said duty is likely to lead to continuation of dumping and injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:
- i. The Authority issued a notification dated 29th March 2025, published in the Gazette of India - Extraordinary, initiating the sunset review of anti-dumping investigation concerning the imports of the product under consideration from the subject countries.
 - ii. The Authority sent copy of the initiation notification dated 29th March 2025 to the embassies of the subject countries in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers/users and other interested parties, as per available information. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notification and make their views known in writing within the prescribed time-limit.
 - iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
 - iv. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject countries in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - a. Hunan Huasheng Industrial & Trading Co. Ltd.
 - b. Mengyin Cotton Textile Co. Ltd
 - c. Harbin Chaolong Flax Co. Ltd.
 - d. Binfenzhuang Fabric Co. Ltd.
 - e. Huafang Ramie Textile Co. Ltd
 - f. Zhucheng Deliyuan Textile Co. Ltd.
 - g. Haining Yutex Co. Ltd
 - h. Qingdao Yuzhou Knit and Textile Co. Ltd.
 - i. Wujiang Maishunda Silk Textile Co Ltd.
 - v. None of the exporters filed the response to exporter's questionnaires, nor have they filed any other submissions. Trade and Industry Department (TID) of Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR), China, Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles (CCCT) registered themselves as interested party, however, have not made any submissions.
 - vi. Questionnaire was sent to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules -
 - i. K. Mohan Textiles, Bangalore, Karnataka
 - ii. Prateek Apparels Pvt. Ltd., Karnataka
 - iii. Ambattur Clothing Co. Ltd, Tamil Nadu
 - iv. Aditya Birla Nuvo Ltd, Karnataka
 - v. Shahi Exports, Pvt. Ltd, Faridabad
 - vi. Richa & Co., New Delhi
 - vii. Mulberry Silk Limited, Karnataka
 - viii. Indian Terrian Clothing Pvt. Ltd, Tamil Nadu
 - ix. Orient Clothing Co. P. Ltd, Haryana

- x. Mohan Clothing Co (P) Ltd., Haryana
- xi. Anish India Export, Haryana
- xii. Gokaldas Images, Karnataka
- xiii. Prasam Exports, Maharashtra
- xiv. Raymond Ltd. (Textile division), Mumbai
- vii. None of the importers or users have filed the response to questionnaires, nor have they filed any other submissions, in response to the Initiation notification.
- viii. Exporters, foreign producers and other interested parties who have not responded to the Authority, or not supplied information relevant to this investigation, have been treated as non-cooperating interested parties.
- ix. The Authority issued an economic interest questionnaire (EIQ) to all the known producers and exporters, importers and the domestic industry. The economic interest questionnaire was also shared with the administrative line ministry. Economic interest questionnaire was filed only by the domestic industry. None of the other interested parties have filed the economic interest questionnaire.
- x. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- xi. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st October 2023 to September 2024 (a period of 12 months). The injury period for the investigation will cover the periods 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the POI.
- xii. A request was made to the Directorate General for Systems and Data Management (DG Systems) for transaction-wise import data of the subject goods for the injury period. The Authority received the data and has relied upon this data for the necessary analysis after due examination of the transactions.
- xiii. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xiv. In accordance with Rule 6(6) of the Anti-Dumping Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views orally in a hearing. The public oral hearing was held on 30th June 2025. Domestic industry and representative of Hong Kong Special Administrative Region participated, however, only the representative of domestic industry made submissions. Attendees were requested to file written submissions of the views expressed orally by 6th July 2025 and Rejoinder by 13th July 2025. Only domestic industry has made submissions post oral hearing.
- xv. A Disclosure Statement containing the essential facts in this investigation was issued to the interested parties on 29th July 2025 and the interested parties were allowed time upto 04th August 2025 to comment on the same. The comments on Disclosure Statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant, in this Final Findings.
- xvi. In accordance with Rule 6(8), wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the findings on the basis of available facts.
- xvii. Non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules.
- xviii. In accordance with Rule 8, the Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the domestic industry which forms the basis of the final finding. The Authority verified the data and documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant, and necessary.
- xix. '***' in this final finding represents information furnished by domestic industry on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.
- xx. The average exchange rate of 1US\$ = Rs. 84.27 prevailing during the POI has been adopted by the Authority.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**C.1 Views of the Domestic Industry**

6. The domestic industry has made the following submissions with regard to the product under consideration and like article:
 - i. The product under consideration is Flax Fabric having Flax content more than 50% originating in or exported from China PR and Hong Kong. It is normally classified under Chapter 53 of the Customs Tariff Act.
 - ii. "Flax" and "Linen" are synonyms and the word flax is also known as Linen and can be used to produce yarn and fabric made from flax fibres. It is often used as in generic term to describe a class of woven bed, bathtub, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels sheets etc.
 - iii. The present investigation being a sunset review investigation, product under consideration remains the same as defined in the previously conducted investigation.
 - iv. No significant development has taken place over the period with regard to product under consideration.
 - v. Product under consideration is made from cellulosic plant called flax, grown in Northern European countries mainly in France and Belgium. These fibres are then converted to linen yarn through wet spinning process, which is unique to any other spinning process. This linen yarn is used as grey or dyed as required for weaving. After weaving it is processed and finished and sold in the market.
 - vi. The product produced by the domestic industry is like article to the product imported from subject countries.

C.2 Views of other interested parties

7. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to the product under consideration and like article.

C.3 Examination by Authority

8. The present investigation is a sunset review investigation and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The product under consideration as defined in the last conducted investigation is reproduced hereunder -

"The product under consideration is flax fabric originating in or exported from China PR and Hong Kong is normally classified under Chapter 53 of the Customs Tariff Act. "Flax" and "Linen" are synonyms and the word flax is also known as Linen and can be used as in generic term to describe a class of woven bed, bathtub, table and kitchen textiles because traditionally flax was widely used for towels, sheets etc. This product is classified under Customs Tariff Chapter 53 at subheading 53.09. The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of investigation.

Woven fabric (having more than 50% flax contents) produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles and is the Product under Consideration within the meaning of the rules.

The Authority notes that as per the grade-wise production statement, the domestic industry has produced fabric having flax content of 30-50%. This is 0.62% of the total production. As the domestic industry is not making substantial production of fabric having flax content of up to 50%, the Authority has therefore concluded the product under consideration to have flax content of more than 50%."

9. The other interested parties were asked to provide their comments on the scope of the product under consideration within 15 days of initiation of the investigation. No comments were received from any of the interested parties except the applicant and therefore, the Authority vide Notification dated 23.04.2025 notified that the scope of the product under consideration is same as defined in the initiation notification having regard to the past investigations. It was further clarified that no PCN methodology is being adopted in the present investigation.
10. The product is classifiable under Chapter 53, under sub-heading 5309 of the Customs Tariff Act, 1975. It is also noted that the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of subject investigation.
11. The Authority notes that the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject countries are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing

process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Accordingly, the Authority notes that the product produced by the domestic industry are 'like article' to the product under consideration imported from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules and the scope of product under consideration remains the same as defined in the original investigation.

12. Further, none of the importers, exporters and other interested parties have advanced any argument with regard to the scope of the product under consideration and like article. Thus, the scope of the product under consideration in the present review investigation remains the same as that in the original investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Views of Domestic Industry

13. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to standing and scope of domestic industry:
 - a. The present application has been filed by M/s Grasim Industries Limited – Jaya Shree Textiles. At the time of filing the application, the applicant was supported by five producers of the product under consideration. Post oral hearing, fifteen other producers have expressed support for the application. Therefore, the following producers have supported the said application:
 - i. Global Images (India) Pvt. Ltd.,
 - ii. Govardhan Overseas Pvt. Ltd.,
 - iii. Jagdamba Textiles Private Limited,
 - iv. Raymond Luxury Cottons Ltd.,
 - v. Sachdeva Fabric World Pvt. Ltd.
 - vi. Bhavna Fabrics
 - vii. Lee Weaving
 - viii. Madhusudan Weaves have.
 - ix. Mayank Textiles
 - x. Raghav Enterprises
 - xi. Shree Balaji Silk
 - xii. Shree Jay Ambe Silk
 - xiii. Shree Krishna Silk
 - xiv. Shree Ram Silk
 - xv. Sudamo Impex Pvt. Ltd.
 - xvi. Sisai Fibres Pvt. Ltd.
 - xvii. Kottex Industries Pvt. Ltd.
 - xviii. Darshan Creation Private Limited.
 - xix. Keshari Industries Private Limited
 - xx. Vrijesh Natural Fibre and Fabric India Pvt. Ltd.
 - xxi. AK Fabrics
 - xxii. Viraat Fashion
 - b. There are a number of producers of the product under consideration in India. The Designated Authority, in the last investigation, held that production of the subject goods is widespread in the MSME sector, making it infeasible to aggregate data from all units.
 - c. Additionally, since a weaver can produce different kinds of fabrics, including flax, many producers engaged in cotton fabric production also manufacture small volumes of flax fabric. Accordingly, the most appropriate method to quantify Indian production—consistent with past practice—is to rely on raw material consumption.

- d. The domestic industry has, following the past practice, relied on raw material consumption to estimate total Indian production. The applicant's production represents a "major proportion" of total Indian production
- e. The Applicant constitutes a major proportion of Indian production. The Applicant has not imported the subject goods from the subject countries nor is related to any exporters or producers in the subject countries. Therefore, the Applicant satisfied the standing requirement under the Rules and the Applicant constitutes "Domestic Industry".
- f. Standing is not a mandatory requirement in a sunset review. The 25% and 50% condition that the DGTR requires is under Rule 5 and not covered under Rule 23.

D.2 Views of the other interested parties

14. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to standing and scope of domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

15. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

"(b) 'domestic industry' means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

16. The Authority notes the present application has been filed by M/s Grasim Industries Limited – Jaya Shree Textiles. The related party of the applicant has imported insignificant quantity of the subject goods from the subject countries.
17. It is noted that production of product under consideration in the country is quite dispersed, including within the MSME sector. There is no published data regarding gross domestic production of the product in the country. The issue was considered in the original findings and previous sunset review investigations as well. It was held that due to lack of reliable information and production being in unorganised sector, the production of product under consideration is required to be assessed on the basis of raw material consumption. The applicant has followed the same methodology in the present case to determine Indian production and share of Domestic Industry.
18. The Authority had duly called upon all interested parties to furnish relevant information. However, none of the other interested parties came forward to contest or rebut the submissions made by the domestic industry. Accordingly, in consonance with the previous investigation in the case and in accordance with Rule 6(8) of the Anti-Dumping Rules, the Authority has treated the data submitted by the domestic industry as the best facts available. Owing to the non-availability of publicly verifiable production data, the Authority has adopted the established methodology and has estimated the production of the product under consideration based on raw material consumption as declared by the Applicant. It is noted that the Applicant's production accounts for 25.73% of the domestic production. The Authority further records that, in terms of Rule 23 governing sunset reviews, the requirement of establishing domestic industry standing as per Rule 5(3) is not mandated for a review.
19. The application has been supported by following producers:
 - i. Global Images (India) Pvt. Ltd.,
 - ii. Govardhan Overseas Pvt. Ltd.,
 - iii. Jagdamba Textiles Private Limited,
 - iv. Raymond Luxury Cottons Ltd.,
 - v. Sachdeva Fabric World Pvt. Ltd.
 - vi. Bhavna Fabrics
 - vii. Lee Weaving
 - viii. Madhusudan Weaves have.
 - ix. Mayank Textiles

- x. Raghav Enterprises
 - xi. Shree Balaji Silk
 - xii. Shree Jay Ambe Silk
 - xiii. Shree Krishna Silk
 - xiv. Shree Ram Silk
 - xv. Sudamo Impex Pvt. Ltd.
 - xvi. Sisai Fibres Pvt. Ltd.
 - xvii. Kottex Industries Pvt. Ltd.
 - xviii. Darshan Creation Private Limited
 - xix. Keshari Industries Private Limited
 - xx. Vrijesh Natural Fibre and Fabric India Pvt. Ltd.
 - xxi. AK Fabrics
 - xxii. Viraat Fashion
20. M/s Raymond Luxury Cottons Ltd., which is a producer in the organised sector has also submitted its injury information post oral hearing. It is noted that the production by the applicant constitutes a major proportion. Further, M/s Raymond Luxury Cottons Ltd has provided only injury information, however, without detailed costing information.

E. DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

E.1 Normal Value

21. Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:
- i. *The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or*
 - ii. *When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either :-*
 - a. *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*
 - b. *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);*

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans-shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

E.2 Submissions by the domestic industry

22. The submissions made by the domestic industry with regard to normal value, export price and dumping margin are as follows -
- a. The subject countries have continued to dump subject goods in India despite existing anti-dumping duties.
 - b. Even though the provisions of Article 15(a)(ii) have expired, WTO members are required to consider domestic prices or costs in China PR only if the producers under investigation can clearly show that the market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product as per Article 15(a)(i), which the Chinese producers in the present case have not shown.
 - c. No verifiable evidence of the actual selling price of cost in a market economy third country is available for

determining the normal value for China PR.

- d. None of the exporters have responded to the questionnaire issued by the Authority. The normal value should be determined as per Para 7 of the Annexure I of the ADD Rules. Furthermore, exporters should be considered non-cooperative as per Rule 6(8) and the Authority should proceed according to the best information available.
- e. There is no significant difference in the technology adopted or the manufacturing process used for producing the subject goods or raw material prices in subject countries, therefore the calculations are justified.
- f. In view of the above the Applicant has determined Normal Value in China on the basis of cost of production in India, based on the cost of the domestic industry duly adjusted with selling, general and administrative expenses.
- g. Since there is no evidence available with regard to the selling price of the product under consideration in Hong Kong, therefore the Applicant has determined normal value in Hong Kong on the basis of cost of production in India, after due adjustments.
- h. The export price is adjusted on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, bank charges, secondary packaging, credit costs and inventory carrying costs.
- i. The dumping margin calculated is not only significant, but also substantial.

E.3 Submissions by other interested parties

23. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to normal value, export price and dumping margin.

E.4 Examination by the Authority

Market economy status for Chinese Producers

24. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*
- (b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*
- (c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a*

particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

25. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a)(i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. As none of the producers from China PR has not participated, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules.

E.4 Determination of Normal Value for all Producers in China PR

26. At the stage of initiation, the Authority constructed the normal value for China PR based on the best estimates of the cost of the production of the domestic industry after duly adjusting the selling, general and administrative expenses and profits. Upon initiation, the Authority advised the producers/ exporters in China PR to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of their market economy status. The Authority sent copies of the supplementary questionnaire to all the known producers/ exporters for rebutting presumption of non-market economy in accordance with criteria laid down in Para 8(3) of Annexure-I to the Rules and furnish relevant detailed information. The Authority also requested Government of China PR to advise the producers/ exporters in China PR to provide the relevant information. However, none of the producers/exporters have responded.

27. Para 7 of Annexure 1 of the Rules provides as under

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments."

28. Para 7 lays down a hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7.
29. There is no evidence of price or constructed value prevailing in market economy third country brought forward by any interested party. Thus, normal value could not be determined based on price prevailing in market economy third country. Further, the subject goods are being imported into India largely from the subject countries, thus imports into India by other countries could not be considered. Thus, normal value could not be determined based on price prevailing in market economy third country. In the absence of sufficient information on record, regarding the other methods as enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on "any other reasonable basis". The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses and addition of reasonable profits. The constructed normal value so determined for POI by the Authority is mentioned in the dumping margin table below.

E.6 Determination of Normal Value for Hong Kong

30. Since none of the producers and exporters in Hong Kong have responded to the questionnaire in the form and manner prescribed, nor have submitted any evidence with regard to the Normal Value of the subject good in the subject country, the Authority is constrained to determine the normal value in this country on the basis of the facts available. Additionally, there is no evidence regarding the selling price of the product under consideration in Hong Kong. Normal value for Hong Kong is thus based on the cost of production in India, after due adjustments. The normal value so determined for Hong Kong is mentioned in the dumping margin table below.

E.7 Determination of Export Price

31. As none of the producers/exporters in the subject countries have cooperated, the Authority has adopted the DG Systems Data for determining the CIF price. The export price has been determined based on weighted average import price into India.
32. Price adjustments have been made on the basis of claims made by the Applicant in view of non-cooperation from exporters from China PR and Hong Kong. The export price has been determined at ex-factory level, after considering adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank commission, inland freight expenses, port expenses .

E.8 Determination of dumping margin for producers and exporters in the subject countries

33. Considering the normal value and export price as above, the dumping margins for all producers/exporters of the subject goods from the subject countries are determined as below. It is seen that the dumping margin continues to be more than *de minimis* and significant.

Dumping Margin :

Particulars	Unit	China	Hong Kong
Normal Value	\$/Mtr	***	***
Net Export Price	\$/Mtr	***	***
Dumping Margin	\$/Mtr	***	***
Dumping Margin	%	***	***
Dumping Margin	Range	110-120	40-50

F. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

34. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "*.. taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
35. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply mutatis mutandis in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to continuation of injury to the domestic industry.
36. The Authority notes that the application for imposition of antidumping duty has been filed by M/s Grasim Industries Limited-Jaya Shree Textiles and supported by many supporters as stated in relevant para earlier. In terms of Rule 2(b) of the Rules, the Applicant has been treated as the domestic industry for the purpose of this

investigation. Therefore, for the purpose of this determination the cost and injury information of the Applicant has been examined.

F.1 Submissions by the Domestic Industry

37. The submissions of the domestic industry with regard to injury and causal link are reproduced herein below:
- a. Imports from subject countries have increased significantly throughout the injury period.
 - b. Subject imports in relation to Indian consumption has doubled over the injury period.
 - c. Subject imports in relation to Indian production has increased significantly from base year to the POI.
 - d. Despite duties, subject imports are undercutting domestic selling prices. If existing ADD is removed, price undercutting could substantially increase further.
 - e. Similarly, subject imports are also substantially undercutting domestic cost of sales despite existing duties. If ADD is removed, cost undercutting is substantially more.
 - f. Increase in cost of sales has been much more than increase in selling price. In the POI, selling price was below cost of sales. Landed price of subject imports were significantly below both cost and selling price of domestic industry, causing price suppression.
 - g. With increase in demand, the domestic industry has increased production and capacity utilisation. However, to compete with dumped imports and to maintain its market share, domestic industry is selling at losses.
 - h. Despite consistent capacity, increase in demand of subject goods and increased production, market share of domestic industry has declined whereas that of subject imports have significantly increased.
 - i. Due to sustained adverse volume and price effect, domestic industry's economic performance has been adversely affected.
 - j. Domestic industry is facing significant and continuous losses despite existence of duties.
 - k. PBIT, Cash profit and ROCE has turned negative, declining substantially over the injury period.
 - l. The extent of losses has increased by 87% over the injury period. ROCE has dropped further from 13% to 25% over the injury period.
 - m. During the injury period, there was unprecedented increase in prices of flax fibre. Resultantly, although cost increased, Chinese producers did not increase their prices proportionately. Accordingly, domestic producers had to sell below cost to maintain their market share despite such high increase in input price, leading to more losses.
 - n. Inventories with the domestic industry has remained significant throughout injury period, with inventories increasing significantly in the POI when subject imports were at an all-time high.
 - o. There has been positive and continued dumping by subject countries in the previous investigations as well. In the present investigation, dumping margin and injury margin has further increased.
 - p. Dumping margin and injury margin in the present investigation is higher than margins determined by the Authority in the previous two sunset review investigations.
 - q. Producers in subject countries have been absorbing the duties. Therefore, in the last investigation, duties were enhanced by the Authority, however, dumping has intensified.
 - r. The volume of imports is at an all-time high in the POI period. This is despite duties being enhanced in the last sunset review investigation.
 - s. Since original investigation benchmark duty, the increase in import price has been of only approx. 80 rupees. Cost of sales, however, has increased many times over.
 - t. While cost of sales has increased by *** % over the injury period, the increase in landed value of imports has been only 8% during the same period. Imports are much below cost, even with addition of existing duties.
 - u. The domestic industry is suffering unprecedented losses. Comparing ROCE in original investigation which was at *** %, ROCE in present investigation stands at -*** %.
 - v. The law does not mention an upper limit on the number of years of protection. There are 263 cases, wherein duties have been in effect for 15-20 years and 207 wherein duties have been imposed for 20-25 years. DGTR has imposed duties since 1997 in acrylic fibre from Thailand and acrylonitrile butadiene rubber from Korea.
 - w. It has been the consistent practice of Authority to include imports under advance authorisation or similar

schemes in injury analysis. Such imports denote the price at which subject goods would be imported in absence of measures. Further, such imports create competition and change the price line, thereby benchmark the prices in the domestic market. Thus, these imports have been considered by Authority to determine dumping and injury margin as these dumped imports adversely affect the opportunities available to domestic industry to increase their supplies to these exporters and to that extent, the demand of the subject goods declines. Additionally, license holder has the choice to either import the input on duty free basis or procure the same from indigenous source by the mechanism of advance release order. Non-inclusion of advance authorisation volume would distort injury analysis

- x. Majority of producers of subject goods are centred in the MSME sector, with a few major players. If duties are ceased, MSME sector would collapse and organised sector would suffer immensely.

F.2 Submissions by other interested parties

- 38. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to injury or causal link.

F.3 Examination by the Authority

- 39. The present investigation is a sunset review of anti-dumping duties in force. Rule 23 provides that provisions of Rule 11 shall apply, mutatis mutandis in case of a review as well. The Authority has, therefore, determined injury to the domestic industry reconsidering, mutatis mutandis, the provisions of Rule 11 read with Annexure II. Rule 11 of the Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “...taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise e to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
- 40. As regards the consequent impact of dumped imports on the domestic industry, Para (iv) of Annexure II of the Rules states as under-

"(iv) The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. "

- 41. For the purpose of current injury analysis, the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports of the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any. The Authority has taken note of the various submissions made by domestic industry and has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Rules.

F3.1 ASSESSMENT OF DEMAND

- 42. For the purpose of assessment of the domestic consumption/demand of the subject goods, the sales volume of the domestic industry and other Indian producers have been added to the total imports into India and the same have been summarized below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Sales of Domestic Industry	000'Mtr	***	***	***	***
	Index	100	109	106	103
Sales of other Indian producers	000'Mtr	***	***	***	***
	Index	100	109	106	103
Imports from China PR	000'Mtr	10,641	11,531	15,945	16,112
Imports from Hong Kong	000'Mtr	78	1	89	98
Imports from Other Countries	000'Mtr	582	894	1,248	1,333
Total Demand/Consumption	000'Mtr	***	***	***	***
	Index	100	109	117	116

43. It is noted that the demand for the product under consideration has consistently increased over the injury period.

F.3.2 VOLUME EFFECTS OF DUMPED IMPORTS

i. Import volume and share of the imports from the subject countries

44. With regard to the volume of dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In the present case, however, ADD has been in force. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analyzed as under:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Import Volume					
Subject countries	000'Mtr.	10,718	11,531	16,034	16,210
i. China PR	000'Mtr	10,641	11,531	15,945	16,112
ii. Hong Kong	000'Mtr	78	1	89	98
iii. Other countries	000'Mtr	582	894	1,248	1,333
Total Imports	000'Mtr	11,300	12,425	17,282	17,543
Subject imports in relation to:					
Indian production	%	***	***	***	***
Indian consumption	%	***	***	***	***

45. It is seen that:

- Volume of imports from subject countries constitute more than 95% of total imports of the subject goods into India.
- Volume of imports from China consistently increased with significant increase in 2023-24 and the POI. However, imports from Hongkong have remained at low level.
- Subject imports in relation to Indian production has doubled in the POI, in comparison to the base year.
- Similarly, imports in relation to Indian consumption has also increased over the injury period.
- The increase in the volume of subject imports has been far higher than the increase in demand in the country.

46. It is also noted that significant imports are being made under advance license. Consistent with past practice and jurisprudence, the Authority considers that imports made under duty exemption schemes, including advance licenses, have a bearing on the domestic industry's performance and thus should be included in the injury and dumping assessment.

F.3.3 PRICE EFFECTS OF DUMPED IMPORTS

47. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realisation and non-injurious price of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject countries.

i. Price undercutting

48. In order to determine whether the imports are undercutting the prices, the Authority has undertaken comparison between the landed price of the product and the average selling price of the domestic industry. The landed price of imports, domestic prices and margin of undercutting are shown as per the table below:

Particulars	Unit	Subject Countries	China PR	Hongkong
Import Volume	000' Mtr.	16,210	16,112	98
Landed Price (Without ADD)	Rs/Mtr.	275	274	394
Landed Price (With ADD)	Rs/Mtr.	473	473	490
Net Sales Realisation	Rs/Mtr.	***	***	***
Price Undercutting (Without ADD)	Rs/Mtr.	***	***	***
	%	***	***	***
Price Undercutting (With ADD)	Rs/Mtr.	***	***	***
	%	***	***	***

49. It is seen that landed price of imports from subject countries are below net sales realisation of the domestic industry, showing positive price undercutting. Further, even with addition of existing anti-dumping duties, price undercutting is positive and significant.

ii. Price Suppression

50. In order to determine whether the effect of imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred, the Authority has examined the changes in the landed price of imports, and cost of production & selling price of the domestic industry over the injury period.

		2021-22	2022-23	2023- 24	POI
Cost of Production	Rs/Mtr.	***	***	***	***
Trend		100	131	151	175
Selling Price	Rs/Mtr.	***	***	***	***
Trend		100	140	154	173
Landed Price-Subject countries (without ADD)	Rs/Mtr.	***	***	***	***
Trend		100	116	125	132
Landed Price- Subject countries (with ADD)	Rs/Mtr.	***	***	***	***
Trend		100	112	119	123

51. It is seen that the cost of production and selling price of the domestic industry increased over the injury period. However, the selling price has remained below the level of cost of production throughout the injury period. It is also noted that the landed price of the imports was below the cost of production throughout the injury

period. Infact the landed price of imports has declined further in 2023-24 and the POI when cost has increased significantly. Resultantly, the domestic industry is unable to increase its selling price in proportion to increase in the cost of production. Thus, subject imports are suppressing the prices of the domestic industry in the market resulting into financial losses.

F.3.4 IMPACT OF DUMPED IMPORTS ON ECONOMIC PARAMETERS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

52. Annexure - II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. The Anti-Dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

i. Production, capacity, capacity utilisation and sales volume

53. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilisation is as follows –

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Capacity	Mtr	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	100	100	100
Production	Mtr	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	100	103	103
Capacity Utilization	%	91%	92%	94%	94%
	<i>Index</i>	100	100	103	103
Domestic Sales	Mtr	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	109	106	103
Export Sales	Mtr	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	85	160	258

54. It is seen that –

- Capacity with domestic industry has remained constant throughout the injury period.
- Production and capacity utilisation has increased over the injury period.
- Sales of domestic industry increased in 2022-23 from base year and declined thereafter, including in the POI, despite increase in demand.

ii. **Market share in demand**

55. The market share of the domestic industry and domestic producers over the injury period is as under:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Domestic industry	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	98	87	83
Other domestic producers	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	99	86	83
Imports from subject countries	%	17	18	28	28
	<i>Index</i>	100	103	161	165
Other countries	%	1	1	2	4
	<i>Index</i>	100	158	198	464

56. It is noted that the market share of domestic industry declined over the injury period whereas that of subject countries has significantly increased throughout the injury period. The market share of other Indian producers have also declined significantly. Subject imports hold significant share of the domestic demand.

iii. **Profit or loss, cash profits and return on investment**

57. Profit/loss, cash profits and return on investment of the domestic industry are as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of production	₹/Mtr	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	131	151	175
Selling Price	₹/Mtr	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	140	154	173
PBT	₹/Mtr	***	***	***	***
	<i>Index</i>	-100	-22	-119	-187
PBIT (Profit before Interest & Tax)	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Index</i>	-100	-18	-127	-229
Cash Profit	₹/Mtr	***	***	***	***
	<i>Index</i>	-100	126	-139	-267
Cash Profit	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Index</i>	-100	128	-146	-278
ROCE	%	***	***	***	***
	<i>Index</i>	-100	-17	-110	-192

58. The Authority notes as follows:

- The cost of sales and selling price increased throughout the injury period. However, the domestic industry was forced to keep its selling price below the level of cost of sales in view of significantly dumped imports.
- PBT was negative in the base year, which although improved in 2022-23, but declined further in 2023-24 till the POI.
- Cash profit and ROI followed the same trend as that of profits. The domestic industry is garnering negative return on investments during period of investigation.

iv. Inventories

59. The data relating to inventories of the subject goods is as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening Inventory	000 Mtr	***	***	***	***
Closing Inventory	000 Mtr	***	***	***	***
Average Inventory	000 Mtr	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	99	84	93

60. It is seen that inventories with the domestic industry decreased from base year to 2023-24 but increased again in the POI. The average inventory with the domestic industry is significant.

v. Employment, wages and productivity

61. The situation of the domestic industry with regard to employment, wages and productivity is as under:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	103	109	111
Salaries & Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	114	126	123
Productivity/ Employee	MT	***	***	***	***
	<i>Index</i>	100	98	95	93

62. It is noted that employment levels of domestic industry have increased throughout the injury period. Wages paid have also increased following the same trend as that of employment levels. However, productivity per employee has declined.

vi. Growth year to year basis

63. Growth year on year are as follows –

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Production	%	-	0.94%	2.21%	-0.29%
Domestic Sales	%	-	9.2%	-3.3%	-2.7%
Capacity Utilisation	%	-	0.3%	3.1%	-0.1%
Profit/Loss	%	-	77.9%	-436.0%	-57.6%
Cash Profit	%	-	128.2%	-617.8%	-90.6%
PBIT	%	-	82.1%	-608.2%	-55.1%
ROCE	%	-	82.9%	-540%	-74.6%

64. It is noted that there is positive growth in terms of production and capacity utilisation, the growth in terms of terms of profits, cash profits, PBIT and ROCE is negative.

vii. Margin of dumping

65. It is seen that the margin of dumping is positive from subject countries. The Authority notes that there is

continued dumping of subject goods from subject countries.

viii. **Factors affecting prices**

66. The import prices are directly affecting the prices of the domestic industry in the market. It is noted that the landed value of the subject goods from subject countries are not only below its net selling price but also below the level of cost of production. Further the landed prices of subject imports have been suppressing the prices of the domestic industry leading to significant decline in profitability and financial losses during POI. Thus, Authority holds that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of subject goods from the subject countries.

ix. **Ability to raise capital investments**

67. The domestic industry is suffering financial losses in the period of investigation. With the competition being faced by the domestic industry because of the dumped imports, the operations of the industry have been impacted which has affected its ability to raise capital investment. The domestic industry is a multi-product company and therefore ability to raise capital investment is not governed based on the performance of the product alone.

G. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

68. As per the Rules, the Authority is required to, *inter alia*, examine any known factors other than dumped imports which are injuring or are likely to cause injury to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present investigation is a sunset review investigation and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. It was examined whether other factors listed under the Rules could have contributed or likely to contribute to the injury suffered by the domestic industry.

a. Volume and price of imports from third countries

69. The Authority notes that imports from other countries other than subject countries are insignificant or the imports have been at high prices. Therefore, imports from third countries cannot be the reason for the injury suffered by the domestic industry.

b. Contraction in demand and/or change in pattern of consumption

70. The demand for product under consideration has increased over the injury period.

c. Trade restrictive practices

71. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested parties to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

d. Development of technology

72. The Authority notes that information on record shows that technology for production of the product has not undergone any change.

e. Export performance

73. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis. In any case, there

have been an increase in exports made by the domestic industry during the POI.

f. Changes in pattern of consumption

74. The subject goods produced by the domestic industry and that imported into India are comparable and the end users find these goods interchangeable. Possible changes in pattern of consumption are not a factor that could have caused claimed injury to the domestic industry.

g. Productivity of the domestic industry

75. Productivity per employee as assessed has not shown any significant changes during the injury period. Thus, the Authority notes that deterioration in productivity as such has not been any cause of injury to the domestic industry.

h. Factors affecting causal link:

1. The following parameters establishes causal link between imports from China PR and likelihood of injury to the domestic industry in the event of cessation of duty:
 - i. Imports are undercutting the domestic prices even after existing duties. This resulted in increase in imports from China PR to an all-time high despite duties in place.
 - ii. As the market share of the subject imports increased, market share of the domestic industry declined.
 - iii. Whereas both the cost of sales and selling price increased, the increase in selling price was lower than the increase in cost of sales. The price suppression resulted in significant decline in performance of the domestic industry in respect of profits, cash profits and return on investments.
 - iv. The capacity of the Domestic Industry has remained same over the injury period. The production and sales of the domestic industry has also increased over the injury period. However, in an effort to maintain its market share, the domestic industry is incurring losses.
 - v. The injury margin and dumping margin determined in the present POI is substantial, despite existing duties.
2. It is thus seen that the domestic industry suffered continued injury due to dumped imports despite existing duties on PUC.

H.MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

76. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed.

Injury Margin:

SN	Particulars	UoM	China PR	Hong Kong
1	NIP	\$/mtr	****	****
2	Landed price	\$/mtr	****	****
3	Injury Margin	\$/mtr	****	****
4	Injury Margin	%	****	****
5	Injury Margin	Range	80-90	20-30

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF INJURY**I.1 Submissions by the domestic industry**

77. The domestic industry submitted as follows with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping or injury –
- i. The imports are at its highest level in the POI. Dumping of subject goods continued from subject countries even after enhancement of duties in the last sunset review investigation.
 - ii. Import price has decreased from 2023-24 and declined sharply in the POI. Comparing the cost of sales with selling price since last sunset review investigation, the gap between cost and import price has consistently grown wider.
 - iii. Continued dumping from the subject countries has restrained domestic industry from charging reasonable price for its product.
 - iv. Despite existing duties (a) volume of imports has risen significantly (b) price and cost undercutting is positive even with addition of duties, and (c) dumping and injury margin are positive. This itself shows why duties ought to be continued and enhanced.
 - v. The economic parameters of domestic industry have been adversely affected to such an extent that PBT, cash profit and ROCE are all negative in the POI. If duties are allowed to expire, it would further deteriorate the performance of domestic industry and imports would flood Indian market.
 - vi. Dumping margin and injury margin in the present investigation is more than margin determined by the Authority in the last two investigations.
 - vii. China is the largest producer of subject goods. Producers in subject countries have significant capacities, more than their domestic demand.
 - viii. There are huge capacities for the product under consideration in China PR, far beyond the demand in domestic market. Capacity of even one of the largest producers, is more than Indian demand.
 - ix. China is the largest exporter of subject goods in the world. Producers in subject countries are highly export oriented, as has been noted by the Authority in the last investigation as well.
 - x. China is a global market leader in global flax production. China accounts for over 38.7% of global flax exports by value and more than 50% by volume in the last twelve months.
 - xi. Cessation of existing duties will divert such imports to India and intensify dumping further.
 - xii. Extension of anti-dumping duties is necessary to keep the ADD on flax yarn effective, the raw material of flax fabric production. In the absence of continued duties on flax fabric, importers will simply bypass the duty imposed on yarn by sourcing finished fabric directly from China, where producers typically operate as vertically integrated entities, manufacturing both yarn and fabric in the same company.
 - xiii. India is one of the largest growing market of subject goods. While global flax fabric trade has been witnessing a downturn with global import volumes declining, India has emerged as the fastest growing destination market.
 - xiv. India is one of the most highly penetrated market by Chinese imports globally.
 - xv. Indian market is highly price sensitive and decide procurement based on price, foremost. In the event duties are ceased, domestic industry will have to reduce their selling prices further to compete with dumped imports, intensifying injury further.
 - xvi. Imports from China PR to third countries are below import price to India, making India an attractive

market to producers in subject countries.

- xvii. Many producers in Hong Kong, although are either incorporated or headquartered in Hong Kong, have production facilities in China PR. Therefore, Hong Kong imports have origin in China PR.
- xviii. All the likelihood parameters held by the Authority in the last investigation, continues to persist.
- xix. Producers in China PR receive multi-tier benefits from the state that reduces cost of every factor of production. Producers in China PR therefore can produce at substantially reduced production costs compared to a fair market economy.
- xx. Producers in China are therefore not governed by market forces and are even insulated from raw material cost fluctuation and absorb duties readily.
- xxi. As evident from increased dumping despite enhancement of duties in the last sunset review investigation, the producers in subject countries have been absorbing the duties imposed by India.
- xxii. Despite increase in cost of raw material over the injury period, the import price has decreased. In comparison, the difference between cost and import price has widened from the first sunset review investigation.
- xxiii. In a sunset review, the focus of the entire investigation is on the likelihood of injury.
- xxiv. In case of likelihood even if one or two parameters are satisfied the duty may be continued.

I.2 Submissions by other interested parties

- 78. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of injury.

I.3 Examination by Authority

- 79. The present review is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of the PUC from China PR. Under the AD Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- 80. Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia*, for factors which are required to be taken into consideration for likelihood analysis, viz.,
 - a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
 - d. Inventories of the article are being investigated.
- 81. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Anti-Dumping Rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties. The Authority notes as under -

i. Significant rate of increase of dumped imports

- 82. The Authority notes that despite imposed duties, imports are at the highest level in the POI. Further, imports have continued despite existing duties. In the original investigation, benchmark form of duties was imposed, which thereafter in the first sunset review was changed to fixed form of duty. In the second sunset review investigation, as imports continued and caused material injury to the domestic industry, the duties were enhanced. Dumped imports from subject countries have continued despite such enhanced duties. Movement of imports over the injury period is shown in the table below.

Particulars	Subject Country – China	Subject Country - Hongkong
	000' Mtr	000' Mtr
2004-05	7,030	633
2005-06	8,254	986
2006-07	9,463	1,259
2007-08	11,209	1,321
2010-11	5,200	400
2011-12	5,200	400
2012-13	4,900	400
Oct'12-Sep'13 (POI of SSR-I)	4,600	300
2013-14	4,700	200
2015-16	5,088	136
2016-17	4,466	88
2017-18	4,781	74
Apr-18 to Jun-19 (POI of SSR-II)	5,137	480
2021-22	10,641	78
2022-23	11,531	1
2023-24	15,945	89
POI	16,112	98

Source: Information upto Apr-18 to Jun-19 (POI of SSR-II) from past findings. Information from 2021-22 to POI based on imports data from DG SYSTEM.

83. Imports from China has increased significantly and has shown an increase of 51%. Thus, cessation of duties is likely to lead to further increase in imports.

ii. **Continued dumping by producers in subject countries**

84. The Authority notes that the imports from subject countries continues to be made at dumped and injurious price despite imposition of duties. Therefore, Authority holds that dumping is likely to continue in case of cessation of duty.

Dumping margin			
China PR			
Original investigation	1 st Sunset review	2 nd Sunset Review	Present investigation
219%	30% - 40%	80%-100%	110%-120%
Hong Kong			
Original investigation	1 st Sunset review	2 nd Sunset Review	Present investigation
120%	20% - 30%	20%-40%	40%-50%

iii. **Significant Production capacities**

85. The Authority notes, that as per available information on record from past investigations, producers in China have significant production capacities. Further, China PR is the largest producer of subject goods. In the past investigation, the Authority had noted capacities of the following Chinese producers and the domestic industry has provided evidence of continuation of the same.

SN	Producer	Capacity (MT)
1.	Changshu Lifeng Linen & Cotton Weaving Co	2000,000 meters/year
2.	Haining Yutex Co., Ltd.	250000 Meter/day
3.	Wujiang Tangchao Textile Co., Ltd.	10,00,000 meters/ month
4.	Qingdao Yuzhou Knit And Textile Co., Ltd.	40,000 meters/ year
5.	Wujiang Maishunda Silk Textile Co., Ltd.	20,00,000 meters/year
6.	Hunan Huasheng Industrial & Trading Co.	24000000 metres / year

Source : Webresource¹

86. The domestic industry has further supplemented with information of more Chinese producers in the present investigation—

SN	Producer	Capacity (MT)
1.	Shandong Mengyin Cotton Textile Co. Ltd.	Yarn - 22,000 MT/year; Fabric – 60,000,000
2.	Qiqihar Xiangyu Textile Co. Ltd.	Yarn- 10,000 Tons/year; Fabric – 12,000,000/year
3.	Zhucheng Deliyuan Textile Co. Ltd.	Yarn – 8,900 tons/year; Fabric – 63,000,000/year
4.	Hubei Jinghua Textile Group Co. Ltd.	Yarn – 20,000 tons/year; Fabric – 15,000,000 mtrs
5.	Shaoxing WuYueXinQi Linen & Cotton Textile Co. Ltd. & Shaoxing Yifunian Textile Co. Ltd.	25,000,000 mtrs/year
6.	Hangzhou Hangmin Meishida Printing Dyeing Co. Ltd.	200,000,000 mtrs/year
7.	Total Capacities	37,50,00,00 mtrs/year

Source – webresearch²

87. The producers have exported to the Indian market during the injury period and possess such significant capacities that even capacity of one producer alone is sufficient to meet the entirety of demand.

iv. China's dominance in flax fabric market

88. Applicant has submitted *Cross-country report for: woven fabrics of flax* (2025) market report to supplement its claim that China is World's leading supplier of flax fabrics. It is seen that the report states that China accounts for over 38.7% of global flax fabric exports by value and more than 50% by volume in the calendar year 2024. Applicant has also submitted another evidence showing China as the largest exporter of Flax woven fabric in the world.³

¹ Shandong Mengyin Cotton Textile Co. Ltd. <http://www.my-textile.com/?user=mymfc&language=en>; 2 Qiqihar Xiangyu Textile Co. Ltd. <https://www.chinatexnet.com/ChinaSuppliers/2960/QIQIHAR-XIANGYU-TEXTILE-COMPANY-LTD-.html>; 3 Zhucheng Deliyuan Textile Co. Ltd. <https://www.chinatexnet.com/ChinaSuppliers/864/Zhucheng-Deliyuan-Textile-Co-Ltd-.html>; 4 Hubei Jinghua Textile Group Co. Ltd. <https://www.manufacturer.com/jinghuatextile-supplier-profile>; 5 Shaoxing WuYueXinQi Linen & Cotton Textile Co. Ltd. & Shaoxing Yifunian Textile Co. Ltd. <http://chinawyxq.com/>; 6 Hangzhou Hangmin Meishida Printing Dyeing Co. Ltd. <http://en.hz-meishida.com/about.html>

² Changshu Lifeng Linen & Cotton Weaving Co <https://www.globaisources.com/si/AS/ChangshuLifeng/6008845790883/Homepage.htm>; Haining Yutex Co., Ltd. https://yufangzhizao.en.alibaba.com/company_profile.html; Wujiang Tangchao Textile Co., Ltd. <https://tangchaotex.diytrade.com/>; Qingdao Yuzhou Knit And Textile Co., Ltd. www.chinatexnet.com/ChinaSuppliers/16212/; Wujiang Maishunda Silk Textile Co., Ltd. <https://www.chinatexnet.com/ChinaSuppliers/14310/>

³ <https://oec.world/en-> The Observatory of Economic Complexity (OEC) is an online data visualization and distribution platform focused on the geography and dynamics of economic activities. The OEC integrates and distributes data from a variety of sources to empower analysts in the private sector, public sector, and academia.

89. It is noted from the report that not only does China supply 50% of global demand of subject goods, but also that the import price of subject goods in India has decreased from 2023 onwards and that India is the third highest penetrated market by Chinese imports.
90. Therefore, in the event of cessation of anti-dumping duty, these exporters are likely to intensify imports at dumped and injurious price causing injury to the domestic industry.

v. Vulnerability of Domestic Industry in terms of price sensitivity of the product and Indian market

91. Authority notes the submission of the domestic industry that Indian market is highly price sensitive, where buyer's decision is dictated by pricing of product. Availability of low-priced imports from subject countries would not only diverts consumers towards such dumped imports but also force domestic industry to lower their prices to compete with such dumped imports. The long-term dumping practice by subject countries substantiates the same. Therefore, if duties are ceased, imports are likely to cause further injury to the domestic industry.

vi. Price undercutting in absence of measures

92. The Authority notes that despite enhancement of duties in the last sunset review investigation and existence of duties currently, subject imports continue to undercut selling price. Price undercutting is positive inspite of addition of existing duties. Therefore, in case of expiry of duty, it is only likely for such undercutting margin to increase further.

vii. Imports entering at prices that are likely to suppress or depress the prices of the domestic industry to a significant degree

93. The subject imports are already entering at a price that is below the cost of sales of the domestic industry. As noted hereinabove, the selling price of the domestic industry did not increase at the same rate as the increase in cost of sales, showing price suppression during the injury period. It is further noted that the landed price of imports has been below the level of cost of sales of the domestic industry during the injury period. Such price effects from subject imports are likely to continue in the absence of anti-dumping duties.

viii. Producers in Hong Kong are of Chinese origin

94. It is noted that many producers of subject goods in Hong Kong, are of Chinese origin. The Applicant has provided information on, Star Enterprise (HK) Co. Ltd., a member of Hong Kong Textiles Association, which although is incorporated in Hong Kong but has production facilities in mainland China.⁴ Similarly, Tung Ga Group, which is also headquartered in Hong Kong, has factories and mills in China PR.⁵ Furthermore, although such information was made available to interested parties in Hong Kong, no rebuttals have been made.

J. CONCLUSION ON LIKELIHOOD OF DUMPING AND INJURY

95. There is likelihood of continuation of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of existing antidumping duty as is noted below:
- Despite existing duties, dumping has continued with imports reaching the highest level in the POI. Cessation of duties, therefore, is likely to lead to further increase in imports.. Dumping is likely to continue if duties are ceased.
 - Producers in subject countries have significant production capacities.

⁴ <https://www.starent.com.hk>

⁵ <https://www.tungga.com.cn/en/>

- c. Exporters in subject countries are highly export oriented.
- d. China dominates globally in flax fabric market, supplying 50% of global demand. If duties are ceased, further imports can easily be diverted into the Indian market.
- e. Subject countries have a long history of dumping in the Indian market.
- f. Indian market is price sensitive. Low priced imports from subject countries would divert Indian consumers towards it and compel domestic industry to lower their prices further.
- g. Price undercutting is positive despite existing duties. Therefore, cessation of duty would likely lead to increase in undercutting margin.

K. POST DISCLOSURE COMMENTS

K.1 Submissions by domestic industry

96. Post Disclosure comments made by the domestic industry are as follows:

- a. Import of subject goods reached the highest level in the POI. The dumping of subject goods continued from the subject countries even after the imposition of duties. The antidumping duties were imposed in INR which was converted to USD in first sunset review investigation but as imports continued and caused injury, duties had to be enhanced in second review investigation. In the present case, imports have continued and have intensified since 2023-24.
- b. The fact of current dumping and current injury in itself is sufficient to show likelihood of dumping and injury, particularly in a situation like the present where (a) the volume import is so significant, (b) the price undercutting is so high, (b) dumping margin and injury margin are positive.
- c. China is the largest producer of subject goods in the world. These capacities are so humongous, that they can satisfy Indian demand many times over
- d. China is global market leader in global flax production and exports. China is highly export oriented. Majority of the producers in the subject countries export the product under consideration
- e. The Indian market is highly price sensitive. The consumers decide their procurement, with the price being the foremost consideration. Such being the case, availability of such low-priced imports from subject countries in the market is definitely causing an adverse impact on the Domestic Industry.
- f. Many flax fabric producers in Hong Kong are of Chinese origin. For example, Star Enterprise (HK) Co. Ltd, a member of the Hong Kong Textiles Association, was incorporated in Hong Kong but has production facilities in Mainland China, including spinning and weaving mills
- g. Extension of the present anti-dumping duties is necessary to keep the ADD imposed on flax yarn effective, which is the key raw material for flax fabric production. In the absence of continued duties on flax fabric, importers will simply bypass the duty imposed on yarn by sourcing finished fabric directly from China, where producers typically operate as vertically integrated entities, manufacturing both yarn and fabric in the same company
- h. Flax fibres are converted into linen yarn, which thereafter is woven into fabric. Despite increase in flax price, especially in 2023-24 and the POI, import price of subject goods declined. The Domestic Industry was therefore prevented from increasing its selling prices in proportion to the increase in costs, leading to increasing financial losses.
- i. Government of China give huge subsidies to the textile industry. Chinese manufacturers effectively receive all factors of production at discounted or below-market prices.
- j. Long duration of measures can be seen by various WTO members, with some jurisdictions imposing measures for upward of 40 years.
- k. The PUC is a premium textile fabric product. Linen is a very premium textile which is majorly used and worn by the elite section of the society. Linen products are not used by public at large.
- l. The usage is not limited due to the cost of the product, rather it is the cost of regular maintenance being high and recurring which is the primary reason for limiting the usage only by the elite segment of the society. Thus the impact on the ADD on these segment will be too low.
- m. The NIP determined is very low leading to low level of injury margin as raw material price considered is unduly low, consideration of average cost of the raw material is in appropriate, advertisement cost should be included in the calculation of NIP, rejection of apportionment methodology is inappropriate.

K.2 Submissions by other interested parties

97. No submissions have been made by the exporters/other interested parties post issuance of Disclosure Statement.

K.3 Examination by the Authority

98. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry and notes that major comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the disclosure statement. Further, as regards the new submissions made in regard to the determination of NIP, the Authority notes that NIP has been determined for the domestic industry on the basis of information furnished by the domestic industry, principles laid down in the Anti- Dumping Rules read with Annexure III and the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP).

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES**L.1 Submissions by domestic industry**

99. Submissions made by the domestic industry with regards to public interest is as under:

- a. Despite existence of duties, PUC continues to be exported to India at dumped prices. In the event duties cease, there are enough grounds that suggest that dumping will increase further.
- b. Imports from China PR at the highest level in the POI despite existence of duties and enhancement of duties in the last investigation.
- c. Despite increase in production, consequent to increase in demand of subject goods in the country, the market share of domestic industry has declined whereas that of subject countries imports have significantly increased.
- d. Dumped imports are undercutting both cost of sales and selling price of domestic industry. To compete with such dumped imports, domestic industry has to sell at substantially suppressed prices, resulting in financial losses. Profits, ROI and cash profits are all negative during POI.
- e. Dumping and consequent injury as evident in the present investigation are very likely to intensify from the subject countries and there is likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of existing anti-dumping duty.
- f. Available information shows that producers in subject countries have significant freely disposable capacities which are many times Indian demand. Additionally, exporters in subject countries are highly export oriented.
- g. The yarn and fabric operate practically as one entity. If the viability of PUC is threatened, then it would also impact the economics of yarn, which is dependent on captive consumption of yarn. Therefore, cessation of duties would send a ripple effect to upstream industry as well.
- h. Domestic industry employs approx. *** employees in the production of PUC and yarn. By an estimate therefore, approx. *** employees are directly engaged in the production of PUC and yarn. If duties are ceased, Indian industry would be gravely affected including all those who are employed in the industry.
- i. As the Authority has noted in the last investigation, the production of PUC is centred in the MSME sector. When inspite of enhanced and existing duties, imports have increased at its highest level and dumping margin has increased, then without duties to protect the Indian industry, MSME would collapse and organised sector would be gravely injured.
- j. The anti-dumping duty is required to be extended further for a period of five years on subject countries with due enhancement in quantum of duties. Current quantum is not sufficient to effectively counteract dumping.
- k. Information for the post POI period also shows continued dumping and injury margin at significantly positive levels which is an indicator of likely situation in case of expiry of present duties.
- l. There would be negligible impact of continuance or enhancement of anti-dumping duty. The consumers of subject goods are upper middle class and elite section of society. An increase in cost of subject goods in downstream product is hardly 10-15%. This is evinced by the increase in demand of subject goods, despite

- significant increase in cost of subject goods over injury period.
- m. None of the exporters, importers or users have responded to the questionnaire issued by the Authority either in the present investigation or the last sunset review investigation. Therefore, non-participation itself implies that there is no adverse impact of continuation and enhancement of duties.
 - n. There is no evidence of any adverse impact on the consumers despite duties existing for long.
 - o. The price increase in PUC is easily absorbed by the market without any adverse effects.
 - p. The Indian industry has benefited from the imposition of duties on the subject goods., as is evident from capacity utilization and increased production by the domestic industry. The domestic industry has suffered price injury in view of intensified dumping margin and injury margin.
 - q. The extension of anti-dumping duties is essential to ensure a level playing field in the Indian market, the viability of the domestic production of the like article, and prevent India from becoming solely import reliant on the product.
 - r. Presence of a vibrant domestic market is essential to ensure a fair and competitive Indian market, which in its absence would be completely dominated by imports from subject countries.
 - s. It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive domestic production of the product. Further, it is also important to protect the MSMEs engaged in the production and boost employment therein.

L.2 Submissions by other interested parties

100. No submissions have been made by the exporters/other interested parties with regard to Indian Industry's interests.

L.3 Examination of the Authority

101. The Authority considered whether continuation of anti-dumping duties would have any adverse impact on the interest of the public. In order to determine such impact, the Authority weighed the impact of the extension of duties on the availability of the goods in the Indian market, the impact on the users of the product as well as the domestic industry and the impact on the general public at large. This determination is based on the submissions and evidence submitted over the course of the present investigation.
102. The Authority issued initiation notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the users to provide the relevant information with regard to the present review investigation, including possible effect of the anti-dumping duty on their operation. The Authority sought information on, *inter alia*, interchangeability of product supplied by the various suppliers from different countries, ability to switch sources, the effect of anti-dumping duty on the consumers, the factors are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by continuation of anti-dumping duty.
103. The Authority had prescribed an economic interest questionnaire which was sent to all interested parties to this review investigation. Only the domestic industry has responded to the economic interest questionnaire. The user industry has neither filed an economic interest questionnaire nor filed user questionnaire response.
104. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market. The Authority recognises that the continuation of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the continuation of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping would prevent the decline of domestic industry and related upstream industry of yarn, that may ensue as a consequence of dumped imports from subject countries and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.
105. The Authority also notes that there are a number of producers in India, and majority of them in the unorganised MSME sector. Therefore, there is significant price competition between the domestic producers. This ensures

that the users have ample availability of the products at competitive prices. No undue advantage of the antidumping duty is possible in such a situation.

106. The domestic industry has submitted that the cost of the subject goods in the downstream product, i.e., garments, is hardly 10 to 15%, however, the consumers when buying clothes are not concerned about the price of the fabric in the garment. It is seen that the selling price has increased over the injury period, and at the same time, the demand for the product has also increased. The Authority further notes that the fabric manufacturers also pass on the increase in the cost to the finished product particularly considering the fact that PUC is a premium textile fabric product. The Authority, therefore, concludes that the imposition of duty would be in the larger public interest

M. CONCLUSION

107. Having regard to the information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of likelihood or continuance of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that –
- i. The volume of imports from subject countries have increased in both absolute and relative terms, despite existing duties.
 - ii. Imports from China PR reached its highest level in the POI. Further the increase in imports are far higher than increase in demand.
 - iii. Subject imports are significantly undercutting domestic prices, even with addition of anti-dumping duties.
 - iv. Despite increase cost of raw materials leading to increase in cost, the selling price could not increase proportionately as the landed value of imports declined further. To compete with imported subject goods and maintain market share domestic industry has been constrained from raising its price proportionately, leading to price suppression.
 - v. Capacity of domestic industry has remained constant throughout injury period. Capacity utilisation and production of domestic industry has increased over the injury period, in tandem with increase in demand of subject goods. However, market share of domestic industry has declined over the injury period. Market share of Indian industry as a whole has declined even further, whereas market share of subject imports has increased significantly.
 - vi. Subject imports continue to have adverse effect on the financial parameters of the domestic industry. Profitability, cash profits and ROCE of domestic industry has declined over the injury period. The domestic industry is incurring losses.
 - vii. There is sufficient evidence showing likelihood of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties.
 - a. There is continued dumping of subject goods and material injury to the domestic industry despite existing duties. Subject countries have a long history of dumping in the India market and acquired a significant share in domestic demand.
 - b. Producers in subject countries have significant capacities that can satisfy domestic demand many times over.
 - c. Exporters in subject countries are highly export oriented. Market research reports shows that China PR is the largest producer and exporter of subject goods, supplying almost 50% of global demand.
 - d. While the price of raw material increased, the import price of subject goods did not move in tandem with the input prices. In the POI, import price of subject goods, declined below prevailing price of flax fibre.
 - viii. The impact of duty on end consumer is found to be insignificant.

N. RECOMMENDATION

108. The Authority notes that the present proceedings were conducted in accordance with the applicable law. All interested parties were duly notified and were granted adequate opportunity to provide information and present their views on the matters under investigation, including dumping, injury, causal link, likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury and impact of the measures on the Indian industry. Pursuant to the sunset review, the Authority has arrived at the conclusion that continuation of the existing anti-dumping duties is required in the present case. However other than DI no other interested party responded or participated in the investigation.
109. The Authority, thus, considers it appropriate and necessary to recommend continuation of definitive duties equal to the figure indicated in Column 8 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the subject goods from the subject countries. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, anti-dumping duty equal to the amount indicated in Column 8 of the duty table given below is recommended to be extended on all imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

SN	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	UoM	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	5309	Flax or Linen Fabric (note below)	China PR	Any	Any	Any	2.36	Per meter	US\$
2	5309	Flax or Linen Fabric (note below)	Any other than Hong Kong	China PR	Any	Any	2.36	Per meter	US\$
3	5309	Flax or Linen Fabric (note below)	Hong Kong	Any	Any	Any	1.14	Per meter	US\$
4	5309	Flax or Linen Fabric (note below)	Any other than China	Hong Kong	Any	Any	1.14	Per meter	US\$

Note: "Product Under Consideration (PUC) is "Flax or Linen Fabric having flax content of more than 50%"

110. An appeal against the order of the Central Government arising out of these findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

SIDDHARTH MAHAJAN, Designated Authority